रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072025-264959
CG-DL-E-25072025-264959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3325] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2025/श्रावण 2, 1947
No. 3325] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2025/SHRAVANA 2, 1947

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3401(अ).— विषाक्त और परिसंकटमय पदार्थों से संदूषित क्षेत्र मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करते हैं;

तथा : प्रारूप नियम, अर्थात् संदूषित स्थलों का उपचार नियम, 2024, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3550 (अ), तारीख 21 अगस्त , 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

तथा : उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां 21 अगस्त, 2024 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं ;

तथा : उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में उक्त अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण (संदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना .- (1) ये नियम निम्नलिखित से प्रभावित किसी संदूषित स्थल पर लागू नहीं होंगे-

(क) परमाणु ऊर्जा (रेडीओऐक्टिव अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987 के नियम 2 के खंड (xxii) के अधीन यथा परिभाषित रेडीओऐक्टिव अपशिष्ट;

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (घ) के अधीन यथा परिभाषित खनन संक्रियाएं;

(ग) मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 और मर्चेंट शिपिंग (तेल द्वारा समुद्र प्रदूषण निवारण) नियम, 1974 द्वारा यथा शासित तेल या तैलीय पदार्थ द्वारा समुद्र का प्रदूषण;

(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 नियम 3 के उपनियम (1) के खंड 20 के अधीन यथा परिभाषित डंप साइट से ठोस अपशिष्ट।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी स्थल का संदूषण रेडियोधर्मी अपशिष्ट या खनन प्रचालन या तेल रिसाव या डंप साइट से विक्रय अपशिष्ट के साथ मिश्रित संदूषक के कारण है, और यदि संदूषक के कारण स्थल का संदूषण इन नियमों में विनिर्दिष्ट अनुक्रिया स्तर की सीमा से अधिक होता है, तो उस स्थल का उपचार इन नियमों के अधीन शामिल किया जाएगा।

3. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से 'नियम 10 (1) और 10 (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय उपचार समिति' अभिप्रेत है;

(ग) "केन्द्रीय बोर्ड" से 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' अभिप्रेत है;

(घ) "केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल" से 'नियम 9 के अधीन ऑनलाइन पोर्टल' अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रदूषक" से 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 2 के खंड (ङ) में यथा परिभाषित परिसंकटमय पदार्थ की मौजूदगी' निर्देशित है, जो अनुसूची I में निर्धारित अनुक्रिया स्तरों से अधिक हो;

(च) "संदूषित स्थल" से 'संदूषक पदार्थों से प्रभावित कोई क्षेत्र या स्थल अभिप्रेत है और जिसे नियम 4 के उप-नियम (9) के तहत संदूषित स्थल घोषित किया गया है, अभिप्रेत है;

(छ) "पर्यावरण राहत निधि" से लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क के अंतर्गत स्थापित निधि से है;

(ज) " संदिग्ध स्थल" से ऐसे स्थल से है, जहां प्रारंभिक निर्धारण या विस्तृत निर्धारण के आधार पर, संदूषक स्क्रीनिंग स्तर या प्रतिक्रिया स्तर से नीचे मौजूद हैं;

(झ) "भूमि उपयोग" से 'आवासीय, कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक या लोक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग' अभिप्रेत है;

(ञ) "स्थानीय निकाय" से 'किसी नगर पालिका या पंचायत अभिप्रेत है और इसमें तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विकास प्राधिकरण शामिल है'

(ट) "परित्यक्त स्थल" से 'कोई संदूषित स्थल जहां जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, अभिप्रेत है;

(ठ) "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई व्यष्टि, न्यायिक व्यक्ति या संस्था, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कोई न्यासी या कोई न्यास' आते हैं;

IndiaCode

(ङ) "संभावित संदूषित स्थल" वह क्षेत्र है, चाहे उसे चिन्हित किया गया हो या नहीं, जहां किसी स्थल को संदिग्ध संदूषित स्थल के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद प्रारंभिक निर्धारण के आधार पर संदूषकों की उपस्थिति देखी जाती है;

(ढ) "निर्देश संगठन" से 'नियम 7 के अधीन निर्देश संगठन अभिप्रेत है;

(ण) ''अनुक्रिया स्तर'' अनुसूची I में विनिर्दिष्ट सीमाओं पर या उससे उपर मिट्टी और तलछट में परिसंकटमय पदार्थों की सांद्रता है जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए आसन्न खतरा हो सकता है;

(त) "जिम्मेदार व्यक्ति" से नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा पहचाने गए किसी भी व्यक्ति अभिप्रत है, जिस पर संदूषित स्थल के लिए दायित्व सौंपा गया है;

(थ) "स्क्रीनिंग स्तर" मिट्टी और तलछट, तथा भूजल और सतही जल में परिसंकटमय पदार्थों की सांद्रता है जो अनुसूची I में विनिर्दिष्ट, या इससे ऊपर मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए संभावित खतरा हो सकता है;

(द) "स्थल-विनिर्दिष्ट उपचार स्तर" से चिंताजनक परिसंकटमय पदार्थों या रसायन को कम करके संदूषित स्थलों को उपचारित करने के लिए जोखिम आधारित लक्ष्य स्तर अभिप्रेत है;

(ध) "राज्य बोर्ड" से 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) और (4) के अधीन गठित प्रदूषण नियंत्रण समिति' अभिप्रेत है;

(न) "संदिग्ध संदूषित स्थल" वह क्षेत्र है जिसके संदूषित होने का संदिग्ध है और जिसे स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन और राज्य बोर्ड द्वारा नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (4) के अधीन पहचाना गया है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित, शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या नियमों में उन्हें दिया गया है।

4. संदूषित स्थलों की पहचान.- (1) स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन, स्वत: संज्ञान लेकर या जनता से शिकायत प्राप्त होने पर संदूषकों से प्रभावित क्षेत्र की पहचान करेगा तथा अपनी अधिकारिक क्षेत्र में संदिग्ध संदूषित स्थलों के रूप में ऐसे सभी क्षेत्रों को केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र की पहचान करते समय स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन निम्नलिखित सूचना को ध्यान में रखेगा,-

(क) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन के माध्यम से उपलब्ध कोई भी सूचना और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सहमति के प्रबंधन के माध्यम से उपलब्ध सूचना;

(ख) सरकारी अभिकरणों द्वारा किए गए कोई अध्ययन या अन्वेषण;

(ग) अवस्थान कारकों के माध्यम से उपलब्ध सूचना जो संदूषण के जोखिम को बढ़ाती है, जैसे कि आस-पास में पहले से संदूषित स्थल का होना और रसायनों का भूमिगत भंडारण ;

(घ) विगत समय से चल रहा औद्योगिक या कोई मानवजनित क्रियाकलाप जिसके कारण स्थल पर चिंताजनक परिसंकटमय पदार्थों या रसायनों से उस स्थल का संदूषण हुआ हो; या

(ङ) ऐसे अन्य कारक, जिन्हें वह उचित समझे।

(3) स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन संदिग्ध संदूषित स्थलों की सूची राज्य बोर्ड को आवधिक तौर पर अर्धवार्षिक आधार पर, केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्ररूप 1 में उपलब्ध कराएगा।

(4) राज्य बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उपलब्ध सहमति निगरानी तंत्र के माध्यम से उद्योगों या औद्योगिक परिसरों में स्थित संदिग्ध संदूषित स्थलों की पहचान करेगा।

(5) संदिग्ध संदूषित स्थलों की सूची प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड, स्वत: या निर्देश संगठन के माध्यम से, ऐसी सूची की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, संदिग्ध संदूषित स्थल के नमूनाकरण और विश्लेषण द्वारा संदिग्ध संदूषित स्थल का प्रारंभिक स्थल निर्धारण करेगा।

(6) प्रारंभिक स्थल निर्धारण के पूरा होने पर, राज्य बोर्ड संदिग्ध संदूषित स्थल को संभावित संदूषित स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर सकता है, यदि संदूषक स्क्रीनिंग स्तर से ऊपर पाया जाता है या यदि संदूषक स्क्रीनिंग स्तर से नीचे पाया जाता है तो स्थल को संदिग्ध स्थल के रूप में सूची से हटा सकता है।

(7) राज्य बोर्ड, प्रारंभिक स्थल निर्धारण के पूरा होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, संभावित संदूषित स्थलों और संदिग्ध स्थलों की ऐसी सूची केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर, केन्द्रीय बोर्ड को उपलब्ध कराएगा।

(8) तत्पश्चात्, राज्य बोर्ड स्वयं या किसी निर्देश संगठन के माध्यम से, ऐसे स्थल की सूची तैयार करने की तारीख से तीन मास के भीतर, संभावित संदूषित स्थल के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत नमूनाकरण और विश्लेषण द्वारा संभावित संदूषित स्थल का विस्तृत स्थल निर्धारण करेगा।

(9) राज्य बोर्ड, विस्तृत स्थल निर्धारण के पूरा होने के पश्चात्, यदि संदूषक की मात्रा अनुक्रिया स्तर से अधिक पाई जाती है, तो आगे की कार्रवाई के लिए उस स्थल को संदूषित स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर सकता है।

(10) राज्य बोर्ड, विस्तृत स्थल निर्धारण के पूरा होने के पश्चात्, यदि संदूषक की मात्रा अनुक्रिया स्तर से कम पाया जाता है तो उस स्थल को संदिग्ध स्थल के रूप में सूची से हटा सकता है।

(11) राज्य बोर्ड, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अंतर्वलित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, संदिग्ध या संभावित संदूषित स्थलों के क्रमशः प्रारंभिक या विस्तृत निर्धारण के दौरान किसी भी क्रियाकलाप को राज्य सरकार में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करते हुए निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा।

(12) राज्य बोर्ड, संदूषित स्थलों की सूची केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के साठ दिन के भीतर प्रभावित होने वाले पणधारियों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करेगा।

(13) पणधारियों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संदूषित स्थलों की अंतिम सूची प्रकाशित करेगा तथा और इस संबंध में बरती जाने वाली सावधानी का भी संकेत देते हुए जन साधारण की सूचना के लिए उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में इस संबंध में नोटिस भी प्रकाशित करेगा।

5. संदूषित स्थलों का उपचार . - (1) राज्य बोर्ड, इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (13) के अधीन संदूषित स्थलों की सूची के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर एक निर्देश संगठन का चयन करेगा तथा और उपचार योजना की तैयारी आरंभ करेगा और उपचार क्रियाकलापों निष्पादित करेगा।

(2) राज्य बोर्ड, नियम 4 के उप-नियम (13) के अधीन संदूषित स्थल का प्रकाशन होने पर, जांच के पश्चात संदूषण वाले स्थल को संदूषित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की 90 दिनों की अवधि के भीतर पहचान करेगा।

(3) यदि संदूषित स्थल को संदूषण फैलाने वाले व्यक्ति (हस्तांतरक) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (हस्तांतरिती) को हस्तांतरित कर दिया गया है, तो राज्य बोर्ड जिम्मेदार व्यक्ति को अन्य व्यक्ति (हस्तांतरिती) के रूप में निर्धारित करेगा।

(4) निर्धारण और उपचार के दौरान संदूषकों का संचालन और प्रबंधन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(5) जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान हो जाने पर राज्य बोर्ड, जिम्मेदार व्यक्ति को उपचार संबंधी योजना तैयार करने तथा राज्य बोर्ड द्वारा यथा चयनित निर्देश संगठन के माध्यम से उपचार कार्य आरंभ करने और इस पर होने वाले व्यय का वहन करने का निदेश देगा।

(6) जिम्मेदार व्यक्ति, राज्य बोर्ड के निदेशों पर, उप-नियम (5) के अधीन निदेशों की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर उपचार संबंधी योजना तैयार करेगा और इसे राज्य बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

Indiacode

(7) उपचार संबंधी योजना में, स्थल-विनिर्दिष्ट उपचार स्तर, जोखिम निर्धारण की पद्धति, संदूषित स्थल के उपचार या विसंदूषण या सफाई पद्धति, उपचार कार्य आरंभ करने के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन और अपेक्षित समय-सीमा के साथ-साथ उपचार कार्य के दौरान पर्यावरणीय और रक्षोपाय, उपचार-पश्च मॉनीटरी और निर्धारण संबंधी क्रियाकलाप तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपातकालीन अनुक्रिया अधिकथित की जाएगी।

(8) राज्य बोर्ड, जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपचार संबंधी योजना प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर उपचार योजना प्रस्तुत करने की तिथि से इसकी समीक्षा और अनुमोदन करेगा तथा उसकी एक प्रति केन्द्रीय बोर्ड को सूचनार्थ अग्रेषित करेगा।

(9) उपचार योजना के विकास, सत्यापन और उसके अनुमोदन के लिए मानदंड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

(10) राज्य बोर्ड द्वारा उपचार संबंधी योजना के अनुमोदन के पश्चात् जिम्मेदार व्यक्ति, उपचार संबंधी योजना के अनुसार संदूषित स्थल का उपचार कार्य आरंभ करेगा तथा उपचार कार्य पूर्ण होने तक राज्य बोर्ड अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट को प्ररूप 2 में प्रस्तुत करेगा केन्द्रीय बोर्ड को सूचना देते हुए।

(11) उपचार योजना के अनुमोदन के आधार पर, राज्य बोर्ड उपचार क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए संदूषित स्थलों से लोगों के पुनर्वास के लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करेगा।

(12) राज्य बोर्ड, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण में अंतर्वलित जोखिमों को ध्यान में रखकर, संदूषित स्थल के उपचार के दौरान भूमि उपयोग में परिवर्तन और भूमि या भूमि पर भवन या किसी सुविधा के स्वामित्व के हस्तांतरण या परिवर्तन सहित किसी भी क्रियाकलाप को निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(13) जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान न होने दशा में राज्य बोर्ड, संदूषित स्थल में उपचार कार्य करने के लिए इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (13) के अधीन संदूषित स्थल के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर स्वयं या निर्देश संगठन के माध्यम से उपचार संबंधी योजना तैयार करेगा, जो या तो अपने संसाधनों से अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों और नियम 8 के अधीन निर्धारित अनुपात के अनुसार केन्द्रीय सरकार के संसाधनों से सहायता के माध्यम से की जाएगी तथा उपचार योजना को अंतिम रूप दिए जाने के नब्बे दिन के भीतर निर्देश संगठन के माध्यम से उपचार आरंभ करेगा।

(14) किसी संदूषित स्थल का उपचार कार्य, अनुक्रिया स्तर को स्थल-विनिर्दिष्ट उपचार स्तर तक लाने के लिए किया जाएगा।

(15) राज्य बोर्ड, उपचार कार्य पूरा होने के पश्चात, उपचार किए गए स्थल में कतिपय क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त भूमि उपयोग को विनिर्दिष्ट या किसी ऐसे क्रियाकलाप को निर्बंधित करते हुए उक्त स्थल को अधिसूचित करेगा और केन्द्रीय बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(16) संदिग्ध संदूषित स्थल या संभावित संदूषित स्थल के, किसी उद्योग या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के परिसर में अवस्थित होने की दशा में राज्य बोर्ड, संबद्ध औद्योगिक विकास प्राधिकरण या संबद्ध उद्योग को किसी निर्देश संगठन के माध्यम से, यथा स्थिति प्रारंभिक या विस्तृत स्थल निर्धारण करने और इसके पूर्ण होने तक राज्य बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत

करने का निदेश देगा तथा ऐसे स्थलों का उपचार कार्य करने के लिए नियम 4 और नियम 5 के उपबंध यथा संभव लागू होंगे।

6. उपचार कार्य का सत्यापन - (1) राज्य बोर्ड, उपचार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् केन्द्रीय बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) केन्द्रीय बोर्ड, उपचार क्रियाकलापों के पूर्ण होने संबंधी सत्यापन करने हेतु किसी निर्देश संगठन को नियुक्त कर सकता है।

(3) राज्य बोर्ड की रिपोर्ट को निर्देश संगठन की रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष, उसके पुनर्विलोकन समीक्षा और सिफारिश हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) समिति, अपने पुनर्विलोकन के दौरान अतिरिक्त या अनुपूरक उपचार संबंधी क्रियाकलापों, यदि आवश्यक हों, की सिफारिश कर सकती है।

(5) समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड, उपचार कार्य पूर्ण होने संबंधी आदेश जारी करने के लिए राज्य बोर्ड को संसूचित करेगा।

(6) राज्य बोर्ड, उपचार पश्च मॉनीटरी संबंधी क्रियाकलापों के साथ-साथ उपचार कार्य पूर्ण होने संबंधी आदेश जारी करेगा।

(7) जिम्मेदार व्यक्ति, ऐसे स्थलों के संदूषण के कारण, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य या तीसरे पक्षकार को होने वाली सभी प्रकार की क्षतियों के लिए दायी होगा।

(8) जिम्मेदार व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों से अपने दायित्व से छूट प्राप्त नहीं होगी या छूट प्राप्त नहीं माना जाएगा –

(क) यदि संदूषण करने वाली क्रियाकलापों और संदूषण के प्रभाव, इन नियमों के लागू होने से पूर्व हुई हो;

(ख) यदि स्थल अन्वेषण की अपेक्षा न हो तो अनिवार्य हो और ना ही सामान्य कारोबार पद्धति के भाग के रूप में प्रत्याशित हो और व्यक्ति से ऐसी अन्वेषण या परीक्षण करना प्रत्याशित नहीं की जा सकता;

(ग) यदि संदूषकों को अधिसूचित किया गया हो या न ही परिसंकटमय पदार्थों के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

(9) किसी संदूषित स्थल या संदूषित स्थल पर अवस्थित सुविधा में या स्थल से या स्थल में किसी सामग्री के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो, उक्त स्वामी या अधिभोगी या जिम्मेदार व्यक्ति या परिवाहक, दुर्घटना के बारे में राज्य बोर्ड को टेलीफोन और ई-मेल के माध्यम से तत्काल सूचित करेगा तथा तत्पश्चात प्ररूप 3 में रिपोर्ट प्रेषित करेगा और उसे केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

IndiaCode

7. निर्देश संगठन – (1) अनुसूची 2 में दी गई अर्हताएं और अनुभव रखने वाला कोई संगठन, निर्देश संगठन के रूप में पैनल में रखने के लिए केन्द्रीय बोर्ड को प्ररूप 4 में आवेदन कर सकता है।

(2) केन्द्रीय बोर्ड, आवेदन प्राप्त होने पर, अनुसूची 2 में विहित मानदंडों के अनुसार निर्देश संगठन के प्रत्यय-पत्रों का मूल्यांकन करेगा और उक्त संगठन को निर्देश संगठन के पैनल में रखने के संबंध में या कारणों सहित आवेदन को अस्वीकार करने के संबंध में साठ दिन के भीतर संसूचित करेगा।

(3) निर्देश संगठन का पैनल में रखा जाना, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इसे रद्द किए जाने तक वैध रहेगा या जब तक संगठन का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता या वह संदूषित स्थलों के निर्धारण और उपचार के क्षेत्र में अपनी क्रियाकलापों को बंद नहीं कर देता।

(4) केन्द्रीय बोर्ड, निर्देश संगठन के पैलन में रखा जाने को, गलत सूचना प्रस्तुत करने, कपटपूर्ण क्रियाकलापों को करने, आंकड़ों का दुरुपयोग करने तथा निर्धारण, उपचार संबंधी योजना तैयार करने और उपचार कार्य करने संबंधी संविदा या कार्य आदेश के अनुसरण में कार्यकलाप न करने के आधार पर, रद्द कर सकता है।

(5) केन्द्रीय बोर्ड अपनी वेबसाइट पर पैनल में रखे गए निर्देश संगठन की सूची प्रकाशित करेगा और इस सूची को त्रैमासिक आधार पर अद्यतित करेगा।

8. संदूषित स्थलों के निर्धारण और उपचार हेतु वित्तीय तंत्र - (1) सभी मामलों में, संदिग्ध संदूषित स्थल और संभावित संदूषित स्थल के लिए क्रमशः प्रारंभिक निर्धारण और विस्तृत निर्धारण करने के लिए निधियों, जहां तक संभव हो, प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन पर्यावरण राहत निधि से पूर्णतः या आंशिक रूप से तथा राज्य सरकार द्वारा भी की जा सकेगी।

(2) निधियों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच निम्नलिखित अनुपात में सहभाजित किया जाएगा -

(क) क्षेत्र के, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार से नब्बे प्रतिशत निधियां और राज्य सरकार से दस प्रतिशत निधियां;

(ख) क्षेत्र के, अन्य राज्यों में होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार से साठ प्रतिशत निधियां तथा राज्य सरकार से चालीस प्रतिशत निधियां;

(ग) क्षेत्र के, संघ राज्य क्षेत्रों में होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार से शत-प्रतिशत निधियां।

(3) राज्य सरकार अपने हिस्से के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16(1) और 16(5) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण निधि से आवंटित धनराशि और/या राज्य बोर्ड द्वारा एकत्रित पर्यावरण क्षतिपूर्ति से प्राप्त धनराशि का उपयोग कर सकती है।

(4) राज्य सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड, , द्वारा संदूषित स्थलों की संसूचना दिए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रारंभिक और विस्तृत स्थल निर्धारण के लिए निधियों के सहभाजन करने के लिए सहमति प्रदान करेगी:

IndiaCode

परंतु यह कि जब केन्द्रीय सरकार उपचार संबंधी क्रियाकलापों को तत्काल आरंभ करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो वह राज्य सरकार के अनुमोदन को लंबित रख सकती है, ऐसे उपचार संबंधी क्रियाकलापों को करने के लिए राज्य सरकार के हिस्से की समतुल्य निधियां प्रदान कर सकती है और तत्पश्चात राज्य सरकार से उक्त धनराशि वसूल सकती है।

(5) जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान हो जाने की दशा में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक और विस्तृत स्थल निर्धारण पर किए गए व्यय की, जिम्मेदार व्यक्ति से तीन मास के भीतर वसूली की जाएगी।

(6) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा प्रारंभिक निर्धारण, विस्तृत निर्धारण, उपचार संबंधी योजना तैयार करने और उपचार संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने की दशा में जिम्मेदार व्यक्ति, राज्य बोर्ड द्वारा यथा निदेशित रीति से ब्याज सहित उक्त व्यय का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परंतु यह कि स्थल की संदूषित स्थल के रूप में पुष्टि न होने की दशा में जिम्मेदार व्यक्ति, प्रारंभिक निर्धारण और विस्तृत निर्धारण पर होने वाले व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

(7) परित्यक्त स्थलों की दशाओ में, क्रमशः संदिग्ध संदूषित स्थलों, संभावित संदूषित स्थलों और संदूषित स्थलों के लिए में प्रारंभिक निर्धारण, विस्तृत निर्धारण और उपचार संबंधी योजना तैयार करने तथा उपचार कार्य करने पर होने वाला व्यय, उप-नियम (2) में दिए गए अनुपात में पूरा किया जाएगा।

(8) बैंकों के अस्थायी कब्जे वाले या न्यायिक कार्यवाही के अधीरन आने वाले ऐसे स्थलों जैसे अन्य सभी मामलों में समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्रारंभिक निर्धारण, विस्तृत निर्धारण, उपचार योजना तैयार करने और उपचार संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए निधियां, उप-नियम (2) में दिए गए अनुपात में पूरी की जाएंगी।

9. केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल - (1) केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों के अधीन संदिग्ध संदूषित स्थलों, संभावित संदूषित स्थलों और संदूषित स्थलों की रिपोर्टिंग तथा संदूषण के निर्धारण की की मानीटरी और संदूषित स्थलों के उपचार के प्रयोजन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।

(2) राज्य बोर्ड संभावित और संदूषित स्थलों की सूची और उनकी जियोटैगिंग या जियो-फेंसिंग, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी, उपचार योजना की तैयारी की स्थिति, उपचार क्रियाकलापों और जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची, उपचार कार्य पूर्ण होने संबंधी आदेश और उपचार कार्य के बाद की निगरानी क्रियाकलापों को अपलोड करने सहित अपने सभी क्रियाकलापों को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करेगा।

(3) केन्द्रीय बोर्ड सभी संदूषित स्थलों की सूची, उनकी प्रस्थिति और इस संबंध में समिति की सिफारिशों को अपलोड करेगा।

10. उपचार समिति- (1) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अधीन उपचार क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करने तथा इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केन्द्रीय उपचार समिति का गठन करेगी।

(2) केंद्रीय उपचार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष;

(ख) सदस्य के रूप में निम्नलिखित मंत्रालयों या विभागों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, -

(i) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय;

(ii) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय;

(iii) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(iv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(V) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ग) संदूषित स्थलों के व्यौहार में अनुभव रखने वाले राज्य बोर्डों के दो प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(घ) संबंधित राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ण) पर्यावरण, भू-तकनीकी और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र से दो तकनीकी विशेषज्ञ, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(च) सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड या उनके द्वारा नामित - सदस्य संयोजक।

(3) समिति, इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन और मानीटरी करेगी तथा केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट गए किसी मामले के संबंध में सिफारिशें कर सकती है।

(4) समिति छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) समिति संदिग्ध संदूषित स्थलों, संभावित संदूषित स्थलों और संदूषित स्थलों की सूची और इन नियमों के अधीन क्रियाकलापों के ब्यौरों का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगी।

(6) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर, पर्यावरण विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, तथा नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, औद्योगिक विभाग के सचिवों और राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करते हुए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी, जो समयबद्ध रीति में इन नियमों और उनके अधीन क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

11. केन्द्रीय बोर्ड के कृत्य- (1) केन्द्रीय बोर्ड, इन नियमों के अधीन उपबंधों की मॉनीटरी और रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।

(2) केन्द्रीय बोर्ड प्ररूप 5 में संदूषित स्थलों के प्रबंधन पर एक समेकित पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे प्रत्येक वर्ष में एक बार 30 सितम्बर से पहले अपनी सिफारिशों के साथ केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा तथा उसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(3) केन्द्रीय बोर्ड सभी प्रासंगिक सुसंगत केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(4) केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों के अधीन निधियों के उपयोग तथा व्यय के हिस्सेदारी के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

(5) केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजन से दिशानिर्देश जारी कर सकेगा:

परंतु यह कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में दिशानिर्देश केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से ही जारी किए जा सकेंगे।

12. स्वैच्छिक उपचार - (1) स्वैच्छिक उपचार किसी भी स्थल के लिए उपयुक्त हो सकता है.-

(क) जिसकी पहचान संभावित संदूषित स्थल या संदूषित स्थल के रूप में नहीं की गई है; या

(ख) जिसकी इन नियमों के अधीन संदूषित स्थल के रूप में पहचान के लिए जांच नहीं की गई है; और

(ग) जहां स्वैच्छिक उपचार का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति उपचार तथा संबंधित पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं और स्थानीय समुदाय की अपेक्षाओं के प्रबंधन या प्रापण के लिए सक्षम है।

(2) कोई व्यक्ति स्वैच्छिक उपचार के लिए समिति के समक्ष पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसके साथ प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट, सभी मालिकों और अधिभोगियों के बीच स्वैच्छिक करार, उपचार के लिए संदाय करने की पर्याप्त क्षमता का साक्ष्य और उपचार के दौरान समिति के निदेशों का अनुपालन करने की वचनबद्धता भी लेनी चाहिए।

(3) समिति स्वैच्छिक उपचार प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकती है, यदि यह समाधान हो जाता है कि -

(क) यह उप-नियम (1) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है;

(ख) स्वैच्छिक प्रस्ताव पर सभी स्थल स्वामियों और अधिभोगियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और उसे स्वीकार किया गया है;

(ग) सभी व्यक्तियों ने मिलकर यह प्रदर्शित किया है कि उनके पास उपचार लागत का संदाय करने की पर्याप्त क्षमता है और उपचार के लिए संदाय करने के लिए सार्वजनिक निधि की कोई अपेक्षा नहीं है;

(घ) सभी व्यक्ति समिति द्वारा जारी आदेशों, निदेशों और नोटिसों का पालन करने के लिए सहमत हैं;

(ङ) यह इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करता है।

(4) यदि किसी भी प्रक्रम पर स्वैच्छिक उपचार करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय बोर्ड अनुसरण या राज्य बोर्ड या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी आदेश या निदेशों या नोटिस का अनुपालन नहीं करता है या इन उपबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा पहले से किए गए किसी भी लागत के व्यय का कोई प्रतिदाय नहीं होगा और समिति, केन्द्रीय बोर्ड या केन्द्रीय सरकार को आदेशों के प्रवर्तन के लिए कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है, जैसे कि कोई स्वैच्छिक उपचार प्रस्ताव नहीं थी ।

(5) स्वैच्छिक उपचार के अनुमोदन से पर्यावरण को होने वाली क्षति या हानि के अधिरोपण या अन्यथा और किसी अन्य नियम, इन नियमों के उपबंधों या इसके अधीन जारी आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में विफलता या उल्लंघन के दायित्व को रोका नहीं जा सकेगा।

13. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति - (1) राज्य बोर्ड किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर सकता है जो उपचार करने में इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है या किसी संदूषित स्थल के संबंध में इन नियमों के अधीन उपाय नहीं करता है और मानव जीवन और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करता है, जिससे पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को नुकसान, क्षति या चोट पहुंचती है।

(2) यदि राज्य बोर्ड उपनियम (1) के अंतर्गत साठ दिनों के भीतर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के संबंध में कार्रवाई नहीं करता है, तो केन्द्रीय बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकता है जो उपचार करने में इन नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करता है या किसी संदूषित स्थल के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत उपचार नहीं करता है और मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए जोखिम उत्पन्न करता है, जिससे पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को हानि, क्षति या नुकसान पहुँचता है।

(3) उपर्युक्त के होते हुए भी, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत उचित कार्रवाई कर सकता है।

(4) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान जिम्मेदार व्यक्तियों को लगाए गए उपचार लागत के भुगतान से मुक्त नहीं करेगा।

(5) इन नियमों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क के अंतर्गत स्थापित पर्यावरण राहत निधि में जमा की जाएगी और एक पृथक खाते में रखी जाएगी।

(6) इन नियमों के अंतर्गत एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का उपयोग संदूषण के निर्धारण और संदूषित स्थलों के उपचार के माध्यम से पर्यावरण या लोक स्वास्थ्य को होने वाली हानि, क्षति या क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु तथा इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

(7) केन्द्रीय बोर्ड, उप-नियम (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अंतर्गत एकत्रित निधियों के उपयोग हेतु लागत के अनुमान सहित एक योजना, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(8) केंद्र सरकार, उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत योजना और अनुमान से संतुष्ट होने पर, केन्द्रीय बोर्ड को राशि के संवितरण हेतु आदेश जारी कर सकेगी।

(9) राज्य बोर्ड, उप-नियम (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निधियों की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार को योजना प्रस्तुत करेगा।

(10) केन्द्रीय बोर्ड, उप-नियम (9) के अंतर्गत राज्य बोर्ड से योजना प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड से योजना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर योजना पर अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगा।

(11) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (9) के अधीन प्रस्तुत योजना से संतुष्ट होने पर, केन्द्रीय बोर्ड को राशि के संवितरण के लिए आदेश जारी कर सकेगी, जो बदले में संबंधित राज्य बोर्ड को निधि का संवितरण करेगा।

[फा. सं. 12/4/2024 -एचएसएम]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

अनुसूची I
[नियम 3 (ड.) (ण) और (थ) देखिए]

परिसंकटमय पदार्थों की अनुक्रिया और स्क्रीनिंग स्तर

क्र. सं.	रासायनिक नाम	रासायनिक समूह	मिट्टी/तलछट					भूजल गुणवत्ता (स्क्रीनिंग स्तर) (मिलीग्राम/लीटर में)	सतही जल गुणवत्ता (स्क्रीनग स्तर) (µg/L में)
			अनुक्रिया स्तर (आरएल) (मिलीग्राम/किलोग्राम में)	स्क्रीनिंग स्तर (एसएल) (मिलीग्राम/किग्रा में)					
				कृषि	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	1,1,1-ट्राइक्लोरोइथेन (टीसीए)	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	5	**50**	**50**	-	-
2.	1,1,2,2- टेट्राक्लोरोइथीन (पीसीई)	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	8.8	0.1	0.2	0.5	0.6	0.03	110
3.	1,1,2,2-टेट्राक्लोरेथेन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	5	50	50	-	-
4.	1,1,2-ट्राइक्लोरोइथेन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	5	**50**	**50**	-	-
5.	1,1,2-ट्राइक्लोरोइथीन (टीसीई)	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	2.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	21
6.	1,1-डाइक्लोरोइथेन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	5	**50**	**50**	-	-
7.	1,1-डाइक्लोरोइथीन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	**5**	**50**	**50**	0.014	-
8.	1,2,3,4-टेट्राक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	10	0.05	2	**10**	**10**	-	1.8
9.	1,2,3,5-टेट्राक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	10	0.05	2	**10**	**10**	-	-
10.	1,2,3-ट्राइक्लोरोबेंजीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	11	0.05	2	10	10	-	8
11.	1,2,4,5-टेट्राक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	10	0.05	2	**10**	**10**	-	-
12.	1,2,4-ट्राइक्लोरोबेंजीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	11	0.05	2	10	10	-	24
13.	1,2-डाइक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित	19	0.1	1	10	10	0.005	0.7

IndiaCode

		यौगिक							
14.	1,2-डाइक्लोरोइथेन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	5	**50**	**50**	0.005	100
15.	1,2-डाइक्लोरोइथीन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	**5**	**50**	**50**	0.05	-
16.	1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	**5**	**50**	**50**	-	-
17.	1,2-डाइक्लोरोप्रोपीन (सिस और ट्रांस)	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	5	50	50	-	-
18.	1,3,5-ट्राइक्लोरोबेंजीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	11	0.05	2	10	10	-	-
19.	1,3-डाइक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	19	0.1	1	10	10	-	150
20.	1,4-डाइक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	19	0.1	1	10	10	0.005	26
21.	1,4-डाइऑक्सेन	विषमचक्रीय कार्बनिक यौगिक	-	-	-	-	-	0.05	-
22.	2,3,4,6-टेट्राक्लोरोफेनॉल	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	21	0.05	0.5	5	5	0.1	-
23.	2,4,6-ट्राइक्लोरोफेनॉल	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	22	0.05	0.5	5	5	0.005	-
24.	2,4-डाइक्लोरोफेनॉल	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	5	0.05	0.5	5	5	0.9	-
25.	2,4-डाइक्लोरोफेनोक्सीएसिटिक एसिड (2,4-डी)	कीटनाशक (फेनोक्सी शाकनाशी)	-	-	-	-	-	0.1	-
26.	3-आयोडो-2-प्रोपिनिल ब्यूटाइल कार्बामेट	कीटनाशक, कार्बामेट	-	-	-	-	-	-	1.9
27.	एसेनाफ्थीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	5.8
28.	एसेनाफ्थिलीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	-
29.	एक्रिडीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	4.4
30.	एल्डीकार्ब	कीटनाशक, कार्बामेट	-	-	-	-	-	0.009	1
31.	एल्ड्रिन	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	0.32	-	-	-	-	0.0007	0.004
32.	एलिफैटिक्स नॉनक्लोरीनेटेड (प्रत्येक)	गैर-हैलोजनयुक्त ऐलिफैटिक यौगिक	0.3	0.3	-	-	-	-	-
33.	अल्युमीनियम	धातु		-	-	-	-	2.9	-
34.	अमोनिया (कुल)	अकार्बनिक	-	-	-	-	-	0.5	-
35.	अमोनिया (अन-आयनीकृत)	अकार्बनिक	-	-	-	-	-	-	19
36.	रंगों का रासायनिक आधार	जैविक	-	-	-	-	-	-	2.2

IndiaCode

37.	अंगारिन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	0.012
38.	एंटीमनी (धात्विक)	अकार्बनिक	40	20	20	**40**	**40**	0.006	-
39.	हरताल	धातु	76	12	12	12	12	0.01	5
40.	अदह		100					-	-
41.	एटेराजिन	कीटनाशक, ट्राइएज़ीन	0.71					0.005	1.8
42.	बेरियम	अकार्बनिक	2000	750	500	2000	2000	2	-
43.	बेंजीन	मोनोसाइक्लिक सुगंधित यौगिक	5	0.05	0.5	**5**	**5**	0.005	370
44.	बेंज़ो(ए) एन्थ्रेसेन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	0.018
45.	बेंज़ो(ए) पाइरीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	0.00004	0.015
46.	बेंज़ो(बी) फ्लोराएन्थीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	-
47.	बेंज़ो(के) फ्लोराएन्थीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	-
48.	फीरोज़ा	अकार्बनिक	8	4	4	8	8	-	-
49.	बोरान	अकार्बनिक	2	2	-	-	-	5	0.0015
50.	ब्रोमेसिल	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	5
51.	ब्रोमोक्सिनिल	कीटनाशक, बेंज़ोनाइट्राइल		-	-	-	-	0.03	5
52.	कैडमियम	धातु	22	1.4	10	**22**	**22**	0.007	-
53.	कैल्शियम	अकार्बनिक	-	-	-	-	-	75	-
54.	कैप्टन	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	1.3
55.	कार्बेरिल	कीटनाशक, कार्बामेट	0.45					-	0.2
56.	carbofuran	कीटनाशक, कार्बामेट	0.017					0.09	1.8
57.	क्लोरडेन	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	4					0.0002	0.006
58.	क्लोराइड	अकार्बनिक	-	-	-	-	-	250	120000
59.	क्लोरोइंथेनोल	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	0.18
60.	कलोरोफिस	कीटनाशक, ऑर्गनोफॉस्फोरस	-	-	-	-	-	0.09	0.002
61.	क्रोमियम (कुल)	धातु	87	64	64	87	87	0.05	-
62.	क्रोमियम, हेक्सावेलेन्ट	धातु	78	0.4	0.4	1.4	1.4	-	1

IndiaCode

	(Cr(VI))								
63.	क्रोमियम, त्रिसंयोजक (Cr(III))	धातु	180					-	8.9
64.	क्रिसेन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	-
65.	कोबाल्ट	अकार्बनिक	300	40	50	**300**	**300**	-	-
66.	कोलीफॉर्म, मल (एस्चेरिचिया कोली)	जैविक	-	-	-	-	-	किसी भी 100 मिलीलीटर नमूने में पता लगाने योग्य नहीं होगा	-
67.	कोलीफॉर्म, कुल	जैविक	-	-	-	-	-	-	-
68.	रंग	भौतिक	-	-	-	-	-	5 हेज़न यूनिट (आईएस)	-
69.	प्रवाहकत्त्व	भौतिक	4 डी एस /मी	2 डी एस /मी	2 डी एस /मी	4 डी एस /मी	4 डी एस /मी	-	-
70.	ताँबा	धातु	190	63	63	91	91	2	
71.	सायनाज़ीन	कीटनाशक, ट्राइएज़ीन	-	-	-	-	-	0.01	2
72.	साइनाइड	अकार्बनिक	50	0.9	0.9	8	8	0.2	5
73.	सायनोबैक्टीरियल विष	जैविक	-	-	-	-	-	0.0015	-
74.	डीडीडी (डाइक्लोरोडाइफेनिलडाइक्लोरोइथेन,2,2-बिस (पी- क्लोरोफेनिल)-1, 1-डाइक्लोरोइथेन)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	34					-	-
75.	डीडीई (डाइक्लोरोडाइफेनिल एथिलीन,1,1-डाइक्लोरो-2,2-बिस (पी- क्लोरोफेनिल) -एथीन)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	2.3					-	-
76.	डीडीटी (डाइक्लोरोडाइफेनिलट्राइक्लोरोइथेन;2, 2-बिस(पी-क्लोरोफेनिल)-1,1,1-ट्राइक्लोरोइथेन)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	1.7					1	-
77.	डीडीटी कुल (डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन ; 2,2-बिस (पी-क्लोरोफेनिल) -1,1,1-ट्राइक्लोरोइथेन)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	12	0.7	0.7	**12**	**12**	-	0.001
78.	डेल्टामेथ्रिन	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	0.000

IndiaCode

									4
79.	डाइ(2-एथिलहेक्सिल) फ़थैलेट	फ़थैलेट एस्टर	-	-	-	-	-	-	16
80.	डाइबेन्ज़ (ए,एच)एन्थ्रासीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	-
81.	डाइब्रोमोक्लोरोमेथेन	हैलोजनयुक्त मीथेन	-	-	-	-	-	0.1	-
82.	डिकैम्बा	कीटनाशक, एरोमैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड	-	-	-	-	-	0.11	10
83.	डाइक्लोरोब्रोमोमेथेन	हैलोजनयुक्त मीथेन	-	-	-	-	-	-	-
84.	डाइक्लोरोमेथेन (मेथिलीन क्लोराइड)	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	**5**	**50**	**50**	0.05	98.1
85.	डाइक्लोरोफेनोल्स	क्लोरीनयुक्त फिनोल	22	0.05	0.5	5	5	0.9	0.2
86.	डिक्लोफॉप -मिथाइल	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	6.1
87.	डाइडेसिलडाइमेथिलैमोनियम क्लोराइड	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	1.5
88.	डिसोपरोपोलामाईन	जैविक	180	180	180	180	180	-	1600
89.	डाइमेथोएट	कीटनाशक, ऑर्गनोफॉस्फोरस	-	-	-	-	-	0.02	6.2
90.	डाइ-एन-ब्यूटाइल फ़थैलेट	फ़थैलेट एस्टर	-	-	-	-	-	-	19
91.	डाइनोसेब	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	0.01	0.05
92.	एंडोसल्फान	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	4					0.4	0.003
93.	एन्ड्रिन	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	-	-	-	-	-	0.0006	0.0023
94.	एथिलबेन्ज़ीन	मोनोसाइक्लिक सुगंधित यौगिक	110	0.1	5	50	50	0.14	90
95.	इथाइलीन ग्लाइकॉल	ग्लाइकॉल्स	960	960	960	960	960	-	192000
96.	विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत (ईएसपी)		15	10				-	
97.	फ्लोराएन्थीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	0.04
98.	फ्लोरीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	3
99.	फ्लोराइड	अकार्बनिक	2000	200	400	2000	2000	1.5	120
100.	ग्लाइफोसेट	कीटनाशक, ऑर्गनोफॉस्फोरस	-	-	-	-	-	0.28	800
101.	हेप्टाक्लोर	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	4					-	0.01
102.	हेक्साक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	10	0.05	2	**10**	**10**	-	-
103.	हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	-	-	-	-	-	0.0006	1.3

IndiaCode

104.	हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (अल्फा एचसीएच)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	17	17	17	17	17	0.01	-
105.	हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (डेल्टा एचसीएच)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	-	-	-	-	-	0.04	-
106.	हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (HCH)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
107.	हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (बीटा HCH)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	1.6					0.04	-
108.	imidacloprid		-	-	-	-	-	0.23	-
109.	इंडेनो (1,2,3-सी,डी) पाइरीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	-
110.	लोहा	अकार्बनिक	-	-	-	-	-	0.3	300
111.	नेतृत्व करना	धातु	600	70	140	260	**600**	0.005	-
112.	लिंडेन (गामा एचसीएच)	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	1.2					0.002	-
113.	लिनुरोन	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	7
114.	लिथियम	अकार्बनिक	-	-	-	-	-	-	-
115.	मैगनीशियम	अकार्बनिक	-	-	-		-	30	-
116.	मैलाथियोन	कीटनाशक, ऑर्गनोफॉस्फोरस	-	-	-	-	-	0.29	-
117.	मैंगनीज	अकार्बनिक		-	-	-	-	0.12	-
118.	एमसीपीए (मिथाइलक्लोरोफेनोक्सीएसिटिक एसिड (4-क्लोरो-2-मिथाइलफेनोक्सीएसिटिक एसिड;2-मिथाइल-4-क्लोरोफेनोक्सीएसिटिक एसिड)	कीटनाशकों	4					0.1	2.6
119.	पारा (अकार्बनिक)	धातु	50	6.6	6.6	24	**50**	0.001	0.026
120.	मेथोप्रीन		-	-	-	-	-	1	-
121.	मिथाइलमर्करी	जैविक	4	-	-	-	-	-	0.004
122.	मिथाइलटरशियरी -ब्यूटाइल ईथर (एमटीबीई)	एलिफैटिकेथर	-	-	-	-	-	-	10000
123.	मेटोलाक्लोर	कीटनाशक, ऑर्गनोफॉस्फोरस	-	-	-	-	-	0.05	7.8
124.	मेट्रिब्युज़िन	कीटनाशक, ट्राइएज़ीन	-	-	-	-	-	0.08	1
125.	मोलिब्डेनम	अकार्बनिक	190	5	10	40	40	0.07	73
126.	मोनोक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	15	0.1	1	10	10	0.08	1.3
127.	मोनोक्लोरोफेनोल्स	क्लोरीनेटेडफिनोल	5.4	0.05	0.5	5	5	-	7
128.	नेफ़थलीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	1.1
129.	एन-हेक्सेन	एलिफैटिक	21	6.5	6.5	21	21	-	-

IndiaCode

		हाइड्रोकार्बन							
130.	निकल	धातु	100	45	45	50	89	0.02	-
131.	नाइट्रेट	अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक	-	-	-	-	-	45	13मिग्रा /ली
132.	नाइट्राट	अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक	-	-	-	-	-	-	60
133.	नॉनाइलफेनोलैंडिट्स इथोक्सिलेट्स	नोनीलफेनोल और इसके इथोक्सिलेट्स	14	5.7	5.7	14	14	-	1
134.	पीसीबी (पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स)	पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स	33	0.5	**1.3**	**33**	**33**	-	0.001
135.	पेंटाक्लोरोबेंज़ीन	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	10	0.05	2	**10**	**10**	-	6
136.	पेंटाक्लोरोफेनॉल	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	12	7.6	7.6	7.6	7.6	0.06	0.5
137.	पर्मेथ्रिन	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक	-	-	-	-	-	-	0.004
138.	पीएच	अकार्बनिक अम्लता, क्षारीयता और पीएच	6 से 8	6 से 8	6 से 8	6 से 8	6 से 8	6.5-8.5	6.5 से 9.0
139.	फेनेंथ्रीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	0.4
140.	फेनोलिक यौगिक (C6H5OH के रूप में)	यौगिक	14	0.1	1	10	10	0.001	-
141.	फिनोल (मोनो- और डाइहाइड्रिक)	सुगंधित हाइड्रॉक्सिल यौगिक	3.8	3.6	3.8	3.8	3.8	-	4
142.	फेनोक्सी शाकनाशी	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	4
143.	थैलिका एसिड एस्टर (प्रत्येक)	फथैलेटेस्टर्स	30	30	-	-	-	-	-
144.	पिक्लोरम	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	29
145.	पॉली क्लोरीनेटेड डाइबेंजो - पी-डाइऑक्सिन/डाइबेंजोफ्यूरान	पॉलीक्लोरीनेटेड डाइऑक्सिन और फ्यूरान	4 एनजीटीईक्यू.किग्रा -1	4 एनजीटीईक्यू.किग्रा -1	4 एनजीटीईक्यू.किग्रा -1	4 एनजीटीईक्यू.किग्रा -1	4 एनजीटीईक्यू.किग्रा -1	-	-
146.	पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	40					0.0001	-
147.	प्रोपलीन ग्लाइकोल	ग्लाइकॉल्स	-	-	-	-	-	-	500000
148.	पाइरीन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	0.025
149.	क्विनोलिन	पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच)	10	0.1	1	10	10	-	3.4
150.	प्रतिक्रियाशील क्लोरीन प्रजातियाँ	अकार्बनिक प्रतिक्रियाशील क्लोरीन यौगिक	-	-	-	-	-	-	0.5
151.	सेलेनियम	अकार्बनिक	2.9	1	1	2.9	2.9	0.05	1

IndiaCode

152.	चाँदी	अकार्बनिक	40	20	20	40	40	0.1	0,1
153.	सिमाज़ीन	कीटनाशक, ट्राइएज़ीन	-	-	-	-	-	0.01	10
154.	सोडियम	अकार्बनिक	-	-	-		-	50	-
155.	सोडियम अवशोषण अनुपात (एसएआर)		12	5	5	**12**	**12**	-	-
156.	स्टाइरीन	मोनोसाइक्लिक सुगंधित यौगिक	86	0.1	5	50	50	0.02 (सी)	72
157.	sulfolane	कार्बनिक सल्फर यौगिक	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-	50000
158.	सल्फेट	अकार्बनिक सल्फर यौगिक	-	-	-	-	-	200	-
159.	सल्फर(तत्व)	अकार्बनिक सल्फर यौगिक	500	500	-	-	-	-	-
160.	टेबुथियूरोन	कीटनाशकों	-	-	-	-	-	-	1.6
161.	टेट्राक्लोरोमेथेन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	**5**	**50**	**50**	-	13.3
162.	टेट्राक्लोरोफेनोल्स	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	21	0.05	0.5	5	5	0.1	1
163.	थालियम	अकार्बनिक	1	1	1	1	1	-	0.8
164.	थियोफीन	विविध कार्बनिक यौगिक	0.1	0.1	-	-	-	-	-
165.	टिन (अकार्बनिक)	अकार्बनिक	300	5	50	300	300	-	-
166.	टोल्यूनि	मोनोसाइक्लिक सुगंधित यौगिक	32	0.1	3	30	30	0.06	2
167.	कुल घुलित ठोस (टीडीएस)	एसएनएफ	-	-	-	-	-	500	-
168.	कुल हाइड्रोकार्बन (टीपीएच) (खनिज तेल)	सुगंधित हाइड्रोकार्बन	5000					0.01	-
169.	टोक्साफीन	कीटनाशक, ऑर्गेनोक्लोरीन	-	-	-	-	-	-	0.008
170.	ट्रायलेट	कीटनाशक, कार्बामेट	-	-	-	-	-	-	0.24
171.	ट्राइब्रोमोमेथेन	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	75					-	-
172.	ट्राइब्यूटिलटिन	ऑर्गेनोटिन यौगिक	-	-	-	-	-	-	0.008
173.	ट्राइक्लोरोफॉन		-	-	-	-	-	-	0.009
174.	ट्राइक्लोरोमेथेन (क्लोरोफॉर्म)	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	50	0.1	**5**	**50**	**50**	0.3	1.8
175.	ट्राइक्लोरोफेनोल्स	हैलोजनयुक्त सुगंधित यौगिक	22	0.05	0.5	5	5	0.005	18
176.	ट्राइसाइक्लोहेक्सिलटिन	ऑर्गेनोटिन यौगिक	-	-	-	-	-	-	-
177.	ट्राइफ्लुरालिन	कीटनाशक, डाइनाइट्रोएनिलिन	-	-	-	-	-	0.02	0.2
178.	ट्राइफेनिलटिन	ऑर्गेनोटिन यौगिक	-	-	-	-	-	-	0.022
179.	गंदगी	ठोस कुल कणिकीय	-	-	-	-	-	0.1-	-

IndiaCode

		पदार्थ						1.0एनटीयू	
180.	यूरेनियम	अकार्बनिक	300	23	23	33	300	0.02	15
181.	वैनेडियम	अकार्बनिक	130	130	130	130	130	-	-
182.	विनाइलक्लोराइड	हैलोजेनेटेड एलिफैटिक यौगिक	0.1					0.002	-
183.	ज़ाइलीन	मोनोसाइक्लिक सुगंधित यौगिक	17	2.4	2.4	2.4	2.4	0.09	-
184.	जस्ता	धातु	720	250	250	360	410	5	30
185.	एचएफपीओ-डीए (सामान्यतः जेनएक्स केमिकल्स के नाम से जाना जाता है)	ऑर्गेनोफ्लोरीन यौगिक						0.000004	
186.	पीएफएचएक्सएस	ऑर्गेनोफ्लोरीन यौगिक						0.000001	
187.	पीएफएनए	ऑर्गेनोफ्लोरीन यौगिक						0.000001	
188.	पीएफओए	ऑर्गेनोफ्लोरीन यौगिक						0.000001	
189.	प्फोस	ऑर्गेनोफ्लोरीन यौगिक						1	

IndiaCode

अनुसूची 2

[नियम 7(1) देखिए]

निर्देश संगठनों के चयन के मानदंड

संदूषित स्थलों का प्रारंभिक निर्धारण, विस्तृत निर्धारण और उपचार योजना तैयार करने के लिए:

क) निर्देश संगठन को परिसंकटमय पदार्थों तथा रसायनों के संदूषण के निर्धारण में और उपचार योजना तैयार करने में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ख) निर्देश संगठन को परिसंकटमय पदार्थों तथा रसायनों के संदूषण के निर्धारण और उपचार योजना तैयार करने के संबंध में कम से कम 3 परियोजनाएं निश्चित रूप से किया होना चाहिए और जिनमें से 1 परियोजना उपचार योजना की होगी।

ग) निर्देश संगठन में निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले कम से कम 10 कार्मिक कार्यरत होंगे:

i. कम से कम 5 व्यक्तियों के पास पर्यावरण इंजीनियरी/सिविल इंजीनियरी/केमिकल इंजीनियरी/जियोटेक्निकल इंजीनियरी में एम.टेक या पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान/जल विज्ञान/भूविज्ञान/भूभौतिकी में एम.एससी. डिग्री हो, साथ ही कम से कम 5 वर्ष का सुसंगत प्रासंगिक कार्य अनुभव हो, जिसमें परियोजना प्रबंधक के पास कम से कम 10 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए।

ii. कम से कम 4 व्यक्ति जिनके पास पर्यावरण इंजीनियरी/सिविल इंजीनियरी/केमिकल इंजीनियरी/जियोटेक्निकल इंजीनियरी में बी.टेक या पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान /हाइड्रोलॉजी/भूविज्ञान/भूभौतिकी में बी.एससी. हो, साथ ही कम से कम 3 वर्ष का सुसंगत कार्य अनुभव हो।

iii. उपचार योजना तैयार करने के मामले में, सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कम से कम 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव रखने वाले सामाजिक विज्ञान के कम से कम एक विशेषज्ञ

को नियुक्त किया जा सकता है।

घ) निर्देश संगठन के पास संदूषण की सीमा का आकलन और पता लगाना की क्षमताओं और अनुभव होगा तथा इस संबंध में मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का स्वामित्व प्रदर्शित करना होगा।

ङ) निर्देश संगठन का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के साथ गठजोड़ होना चाहिए।

उपचार योजना के अनुसार उपचार गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए:

क) निर्देश संगठन के पास उपचार योजना तैयार करने, अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन और निपटान सुविधाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन करने तथा उपचार क्रियाकलापों को करने में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ख) निर्देश संगठन ने उपचार योजना तैयार करने या अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन और निपटान सुविधाओं की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन करने और उपचार क्रियाकलापों करने के संबंध में कम से कम 3 परियोजनाएं निश्चित रूप से किया होना चाहिए और जिनमें से 1 परियोजना उपचार क्रियाकलापों की होगी।

ग) निर्देश संगठन में निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले कम से कम 15 कार्मिक कार्यरत होंगे:

i. कम से कम 5 व्यक्तियों के पास पर्यावरण इंजीनियरी/सिविल इंजीनियरी/केमिकल इंजीनियरी/जियोटेक्निकल इंजीनियरी में एम.टेक या पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान/जल विज्ञान/भूविज्ञान/भूभौतिकी में एम.एससी. डिग्री हो, साथ ही कम से कम 5 वर्ष का सुसंगत प्रासंगिक कार्य अनुभव हो, जिसमें परियोजना प्रबंधक के पास कम से कम 10 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए।

ii. कम से कम 4 व्यक्ति जिनके पास पर्यावरण इंजीनियरी/सिविल इंजीनियरी/केमिकल इंजीनियरी/जियोटेक्निकल इंजीनियरी में बी.टेक या पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान /हाइड्रोलॉजी/भूविज्ञान/भूभौतिकी में बी.एससी. हो, साथ ही कम से कम 3 वर्ष का सुसंगत कार्य अनुभव हो।

iii. यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, सर्वेक्षण, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर और वेल्डर में सुसंगत व्यवसायिक अर्हताऐं रखने वाले कम से कम 5 तकनीशियन

iv. कम से कम एक व्यक्ति के पास व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कम से कम 3 वर्ष का सुसंगत कार्य अनुभव हो

घ) निर्देश संगठन के पास संदूषण की सीमा का आकलन और पता लगाना की क्षमताओं और अनुभव होगा तथा इस संबंध में मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का स्वामित्व प्रदर्शित करना होगा।

ङ) निर्देश संगठन का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के साथ गठजोड़ होना चाहिए।

प्ररूप 1

[नियम 4(3) देखिए]

राज्य बोर्ड को संदिग्ध संदूषित स्थलों की अर्धवार्षिक सूची प्रस्तुत करने का रूपविधान

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
.....
जिले का नाम:
संभावित संदूषित स्थलों की संख्या:

जिलेवार संदिग्ध संदूषित स्थलों की सूची

क्र. सं.	संभावित संदूषित स्थल का नाम	भू-निर्देशांक और स्थान
1.		
2.		

नीचे दिए गए रूपविधान के अनुसार प्रत्येक संभावित संदूषित स्थल के लिए अलग पेपर संलग्न करें:

क्र. सं.	**विशिष्टयां**	**ब्यौरा**
1.	राज्य और जिला	
2.	क्रम संख्या	
3.	स्थल आईडी	(राज्य-जिला-xx) उदाहरण: उत्तर प्रदेश (यूपी), गाजियाबाद (जीजेड) यूपी-जीजेड-01- पहला स्थल यूपी-जीजेड-02 – दूसरा स्थल
4.	स्थल का नाम	
5.	स्थल मालिक का नाम	
6.	अनुमानित क्षेत्रफल	
7.	पता (गली, गली संख्या, पिन कोड)	
8.	जीपीएस निर्देशांक/और ऊंचाई (अक्षांश और देशांतर)	
9.	भूमि उपयोग (वर्तमान)	
10.	संदिग्ध संदूषित स्थल के निकटतम उद्योग का ब्यौरा	
11.	संदूषण का प्रकार (यदि ज्ञात हो)	
12.	संदूषण का संदिग्ध कारण (कोई औद्योगिक प्रक्रिया या कोई अन्य क्रियाकलाप जिसके कारण संदूषण हुआ)	
13.	चिंतायुक्त संदूषक (यदि ज्ञात हो)	
14.	प्रारंभिक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट	यदि हां, तो रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें
15.	क्या पहले कोई पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है, यदि	

IndiaCode

	हां, तो उसका ब्यौरा दिया जाए।	
16.	यदि कोई न्यायालय/न्यायालय मामला हो, तो उसका ब्यौरा दिया जाए।	

स्थान:
तारीख:

(स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन का नाम)

प्ररूप-2

[नियम 5(10) देखिए]

संदूषित स्थलों के उपचार की अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट के लिए प्ररूप, जिसे जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा राज्य बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है केन्द्रीय बोर्ड को सूचना देते हुए

सेवा में,

अध्यक्ष
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

IndiaCode

1	संदूषित स्थल का नाम	:	
2	अधिभोगी का नाम और पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ई-मेल	:	
3	संदूषित स्थल के उपचार कार्य से संबंधित प्रभारी व्यक्ति का नाम और संपर्क ब्यौरा, साथ ही उपचार अभिकरण/ठेकेदार का ब्यौरा	:	
4	कार्य योजना के संबंध में संदूषित स्थलों के उपचार की भौतिक प्रगति	:	
5	कार्य योजना के संबंध में संदूषित स्थलों के उपचार की वित्तीय प्रगति	:	

स्थान: _____

तारीख: _____

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम:
पदनाम:

प्रतिलिपि-

सदस्य सचिव

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्ररूप-3

[नियम 6(9) देखिए]

दुर्घटना की सूचना देने का रूपविधान

[जिम्मेदार व्यक्ति या परिवाहक द्वारा राज्य बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है]

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना का कारण होने वाली घटनाओं का क्रम:
3. दुर्घटना में शामिल परिसंकटमय पदार्थों का ब्यौरा:
4. दुर्घटना के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का निर्धारण करने की तारीख:
5. किए गए आपातकालीन उपाय:
6. दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदम:
7. ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम:

तारीख:
स्थान: हस्ताक्षर:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्रतिलिपि-
संबंधित जिला मजिस्ट्रेट

प्ररूप-4

[नियम 7(1) देखें]

निर्देश संगठन के पैनल में रखे जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भारत सरकार, 'परिवेश भवन', ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली- 110 032

1.	संगठन का नाम	:	
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जारी निगमन प्रमाणपत्र		

	(क) कॉर्पोरेट पहचान संख्या: (ख) वैधता: (ग) एक प्रति संलग्न करें		
3.	रजिस्ट्रीकृत पता टेलीफोन नंबर ई-मेल	:	
4.	प्रभारी व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण	:	
5.	जीएसटी नंबर	:	
6.	संगठनात्मक अनुभव; i. संदूषण के निर्धारण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या ii. अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन और निपटान सुविधाओं के डिजाइन के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या iii. उपचार योजना की तैयारी के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या iv. सुधारात्मक कार्यकलापों के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या केवल पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं पर ही मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा कृपया प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा, परियोजना का मूल्य, परियोजना की अवधि तथा कार्य देने वाली कंपनी द्वारा जारी किया गया पूर्णता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।		
7.	i. विशेषज्ञों की कुल संख्या: ii. एम.टेक डिग्री रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या : क. पर्यावरणीय इंजीनियरी ख. सिविल इंजीनियरी: ग. रसायन इंजीनियरी: घ. भू-तकनीकी इंजीनियरी iii. एम.एस.सी. करने वाले विशेषज्ञों की संख्या: क. पर्यावरण विज्ञान: ख. रसायन विज्ञान: ग. जल विज्ञान: घ. भूगर्भ शास्त्र: ङ. भूभौतिकी: iv. बी.टेक. करने वाले विशेषज्ञों की संख्या : क. पर्यावरणीय इंजीनियरी ख. सिविल इंजीनियरी: ग. रसायन इंजीनियरी:		

IndiaCode

	घ. भू-तकनीकी इंजीनियरी v. बी.एस.सी. करने वाले विशेषज्ञों की संख्या: क. पर्यावरण विज्ञान: ख. रसायन विज्ञान : ग. जल विज्ञान: घ. भूगर्भ शास्त्र: ङ. भूभौतिकी-: vi. तकनीशियनों की संख्या: क. यांत्रिक: ख. विद्युत: ग. सर्वेक्षक: घ. उपकरण: ङ. फिटर और वेल्डर: vii. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञों की संख्या: (कालानुक्रमिक क्रम में अनुभव के ब्यौरों के साथ बायोडेटा संलग्न करें)		
8.	प्रयोगशाला का ब्यौरा जिसके माध्यम से गठजोड़ किया गया है : i. प्रयोगशाला का नाम: ii. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन जारी वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या और वैधता (प्रति संलग्न करें): iii. कृपया प्रयोगशाला के साथ गठजोड़ के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें		
9.	संदूषण के निर्धारण और उपचार के लिए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का ब्यौरा		

स्थान: _____

तारीख: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम:

पद का नाम:

IndiaCode

प्ररूप-5

[नियम 11(2) देखिए]

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली संदूषित स्थलों के प्रबंधन पर वार्षिक समेकित पुनर्विलोकन रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

सेवा में,

सचिव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,

इंदिरा पर्यावरण भवन,

जोरबाग रोड, अलीगंज,

नई दिल्ली -110003

1.	संदिग्ध संदूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची	:	ब्यौरा संलग्न करें
2.	संभावित संदूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची	:	ब्यौरा संलग्न करें
3.	संदूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची	:	ब्यौरा संलग्न करें
4.	संदूषित स्थलों की राज्यवार वार्षिक सूची	:	ब्यौरा संलग्न करें
5.	साइट निर्धारण रिपोर्ट और उपचार योजना की तैयारी की प्रास्थिति	:	ब्यौरा संलग्न करें
6.	कार्य योजना के संबंध में संदूषित स्थलों के उपचार की भौतिक और वित्तीय प्रगति	:	ब्यौरा संलग्न करें
7.	संदूषित स्थल स्वामी और जिम्मेदार व्यक्ति की राज्यवार सूची	:	ब्यौरा संलग्न करें

MadeCode

स्थान: _____

तारीख: _____

सदस्य सचिव

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

S.O. 3401(E).—WHEREAS areas contaminated by toxic and hazardous substances pose a risk to human health and environment;

AND WHEREAS the draft rules, namely the Remediation of Contaminated Sites, 2024 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide notification number S.O.3550 (E), dated the 21st August, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 21st day of August, 2024;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3, 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - (1) These Rules shall not apply to a contaminated site affected by –

(a) radioactive waste as defined under clause (xxii) of rule 2 of the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987;

(b) mining operations as defined under clause (d) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(c) pollution of the sea by oil or oily substance as governed by the Merchant Shipping Act of 1958 and the Merchant Shipping (Prevention of Pollution of the Sea by Oil) Rules, 1974;

(d) solid waste from dump site as defined under clause 20 of sub-rule (1) of rule 3 of Solid Waste Management Rules, 2016.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), if the contamination of a site is due to a contaminant mixed with radioactive waste or mining operations or oil spill or solid waste from dump site, and if the contamination of the site due to the contaminant exceeds the limit of response level specified in these rules, then remediation of the site would be covered under these rules.

IndiaCode

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires. –

a. "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

b. "Committee" means Central Remediation Committee constituted by the Central Government under rules 10(1) and 10(2);

c. "Central Board" means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

d. "centralised online portal" means the online portal under rule 9;

e. "contaminant" refers to the presence of hazardous substance as defined in clause (e) of section 2 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) above the response levels set out in Schedule I ;

f. "contaminated site" means an area or a site affected with contaminants and declared as contaminated site under sub-rule (9) of rule 4;

g. "Environmental Relief Fund" means a fund as established under section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991);

h. "investigated site" means a site wherein on the basis of preliminary assessment or detailed assessment, the contaminants exist below screening levels or response levels;

i. "land use" means use of land for residential, agricultural, industrial, commercial or public purpose;

j. "local body" means a municipality or a panchayat and includes a development authority established by or under any law for the time being in force;

k. "orphan site" means a contaminated site where responsible person cannot be traced;

l. "person" includes an individual, juridical person or entity, a company, a firm, an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, or a trustee or a trust;

m. "probable contaminated site" is an area, whether or not delineated, where the presence of contaminants is observed on the basis of preliminary assessment after a site has been recognised as suspected contaminated site;

n. "reference organisation'' means the reference organisation under rule 7;

o. "response level" are concentrations of hazardous substances in soil and sediments at or above the limits specified in the Schedule I which there may be an imminent threat to human health or the environment;

p. "responsible person" means any person(s) identified by State Board under sub-rule (2) of rule 5 on whom liability has been assigned for the contaminated site;

q. "screening level" are concentrations of hazardous substances in soil and sediments, ground water and surface water as specified in the Schedule I, at or above which there may be a likely threat to human health or the environment;

r. "site-specific remediation level" means risk based target level for remediating the contaminated sites by reducing levels of hazardous substances and chemicals of concern;

s. "State Board" means the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee constituted under sub-section (1) and (4) of section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

t. "suspected contaminated site" means the area that is suspected to be contaminated and identified by local body or District Administration and State Board under sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 4;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings assigned to them in the Act or the rules.

4. Identification of contaminated sites.- (1) The local body or District Administration, on its own or on receipt of a complaint from public, shall identify an area affected with contaminants and list all such areas as suspected contaminated sites in its jurisdiction on centralised online portal.

(2) While identifying an area under sub-rule (1), the local body or District Administration may take into account the following information, –

a. any information available through implementation of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 and information available through management of consents under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

b. any studies or investigations done by Government agencies;

c. information available through location factors that increase the risk of contamination such as vicinity of a previously contaminated site and underground storage of chemicals**;**

d. historic industrial or any anthropogenic activity that may have caused contamination of site with hazardous substances or chemicals of concern at the site; or

e. such other factors as it considers appropriate.

(3) The local body or District Administration shall furnish the list of suspected contaminated sites to the State Board periodically on half-yearly basis, in Form 1 on the centralised online portal.

(4) The State Board shall identify suspected contaminated sites located in the industries or industrial premises through Consent monitoring mechanism available under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(5) On receipt of a list of suspected contaminated sites, the State Board, on its own or through a reference organisation, undertake preliminary site assessment of the suspected contaminated site by sampling and analysis of the suspected contaminated site, within ninety days from the date of receipt of such list.

(6) On completion of the preliminary site assessment, the State Board may list the suspected contaminated site as probable contaminated site if the contaminant is found to be above the screening level or delist the site as investigated site if the contaminant is found to be below the screening level.

(7) The State Board shall furnish such list of probable contaminated sites and investigated sites to the Central Board on the centralised online portal, within thirty days from the date of completion of the preliminary site assessment.

(8) Thereafter, the State Board shall, on its own or through a reference organisation, undertake a detailed site assessment of a probable contaminated site by detailed sampling and analysis covering the entire geographical area of the probable contaminated site, within three months from the date of listing of such site.

IndiaCode

(9) The State Board, after completion of the detailed site assessment, may list the site as contaminated site for further action if the contaminant is found to be above the response level.

(10) The State Board, after completion of the detailed site assessment, may delist the site as investigated site if contaminant is found to be below response level.

(11) The State Board shall issue a public notice restricting or prohibiting any activity during the preliminary or detailed assessment of the suspected or probable contaminated site, respectively, keeping in view the risks involved to human health and the environment, under intimation to relevant authorities in the State Government.

(12) The State Board shall publish the list of contaminated sites on the centralised online portal inviting comments and suggestions from the stakeholders likely to be affected, within sixty days of such publication.

(13) Upon receipt of the comments and suggestions from the stakeholders, the State Board shall publish the final list of contaminated sites on the centralised online portal and also publish a notice in this regard in two local newspaper having circulation in the area for the information of the general public and also indicating the precaution to be taken in this regard.

5. Remediation of the contaminated sites. – (1) The State Board shall select a reference organisation, within three months from the date of publication of the list of the contaminated sites under sub-rule (13) of rule 4 of these rules, and initiate preparation of remediation plan and execute remediation activities.

(2) The State Board, upon publication of the contaminated site under sub-rule (13) of rule 4 shall, after an inquiry, identify the person who is responsible for causing the contamination of the site within a period of ninety days.

(3) In case, the contaminated site has been transferred by the person (transferor) causing the contamination to other person (transferee), the State Board shall determine responsible person as the other person (transferee).

(4) Handling and management of contaminants during assessment and remediation shall be carried out in accordance with the Standard Operating Procedure issued by Central Board.

(5) Where the responsible person is identified, the State Board shall direct the responsible person to prepare a remediation plan and undertake remediation through a reference organisation as selected by the State Board and bear the expenses towards it.

(6) Upon directions from the State Board, the responsible person shall prepare the remediation plan within six months from the date of directions under sub-rule (5) and submit it to the State Board for its approval.

(7) The remediation plan shall lay down the site-specific remediation level, the method of risk assessment, the method of remediation or decontamination or cleaning up of the contaminated site, the financial resources required and the timeframe required for undertaking remediation along with environmental and safety safeguards during remediation, post-remediation monitoring and assessment activities, and occupational health, safety and emergency response.

(8) The State Board shall review and approve the remediation plan submitted by responsible person within three months from the date of submission of remediation plan, and forward a copy thereof to the Central Board for information.

(9) Criteria for development of remediation plan, verification and its approval is to be done in accordance with the guidelines issued by Central Board.

(10) After approval of the remediation plan by State Board, responsible person shall initiate the remediation of the contaminated site as per the remediation plan and furnish half-yearly progress report to the State Board with intimation to the Central Board till the completion of the remediation, in Form 2.

(11) Based on the approval of the remediation plan, the State Board shall recommend to the State Government for issuing orders for rehabilitation of people from contaminated sites to take forward the remediation activities.

(12) The State Board shall, keeping in view the risks involved in human health and the environment, issue a public notice restricting or prohibiting any activities during the time of remediation of the contaminated site which may include change in land use and transfer or change in ownership of land, or building or any facility on the land.

(13) Where the responsible person is not identified, the State Board shall, on its own or through the reference organisation, prepare a remediation plan within six months from the date of publication of the contaminated site under sub-rule (13) of rule 4 of these rules, for undertaking remediation of the contaminated site either out of its own resources or through support from State Government or both and resources of Central Government as per the ratio prescribed under rule 8 and shall initiate remediation through the reference organisation, within ninety days from the finalisation of the remediation plan.

(14) The remediation of a contaminated site shall be undertaken for bringing down the response level to the site-specific remediation level.

(15) The State Board, after completion of the remediation, shall notify the remediated site specifying the land use fit for carrying out certain activities or restrict any such activity on such site and furnish a report to the Central Board.

(16) In case the suspected contaminated site or the probable contaminated site is located in the premises of an industry or a notified industrial area, the State Board shall direct the Industrial Development Authority concerned or the industry concerned to carry out preliminary or detailed site assessment, as the case may be, through a reference organisation and furnish a report to State Board till its completion and the provisions of rules 4 and 5 shall in so far as may apply for undertaking remediation of such sites.

6. Verification of remediation. – (1) After completion of remediation, the State Board shall submit its report to the Central Board.

(2) The Central Board may appoint any reference organisation to verify the completion of remediation activities.

(3) The report of State Board along with the report of reference organisation shall be placed before the Committee for its review and recommendation.

(4) The Committee may recommend additional or supplementary remediation activities, if needed, during its review.

(5) Upon receipt of recommendations of the Committee, the Central Board shall communicate to the State Board for issuing the Remediation Completion Order.

(6) The State Board shall issue the Remediation Completion Order along with post –remediation monitoring activities.

(7) The responsible person shall be liable for all damages caused to the environment and human health or third party due to contamination of such sites.

(8) The responsible person shall not be deemed to be exempted from its liability on account of the following cases –

a. in case the activity causing contamination and effects of contamination occurred prior to commencement of these rules;

b. in case the requirement of a site investigation was neither mandatory nor expected as part of normal business practice and the person cannot be expected to carry out such investigations or examinations;

c. in case the contaminants were notified or not as hazardous substances.

(9) Where an accident occurs at the contaminated site or the facility on the contaminated site or during transport of any material to or from the site, the owner or occupier or responsible person or the transporter shall immediately intimate the State Board through telephone, e-mail about the accident and subsequently send a report in Form 3 and publish it on the centralised online portal.

7. Reference organisation. – (1) An organisation having the qualifications and experience given in Schedule II may make an application to the Central Board, in Form 4, for empanelment as a reference organisation.

(2) The Central Board, upon receipt of the application, shall evaluate the credentials of the reference organisation as per the criteria prescribed in Schedule II, and communicate to such organisation regarding the empanelment of reference organisation or reject the application with reasons, within sixty days.

(3) The empanelment of the reference organisation is valid until it is cancelled by the Central Board, or till the time the organisation ceases to exist or stops its activities in the area of assessment and remediation of contaminated sites.

(4) The Central Board may cancel the empanelment of a reference organisation on the grounds of furnishing incorrect information, carrying out fraudulent activities, misuse of data and not carrying out activities in accordance with the contract or work order for assessment, preparation of remediation plan and carrying out remediation.

(5) The Central Board shall publish the list of empanelled reference organisations on its website and update the list on quarterly basis.

8. Financial mechanism for assessment and remediation of contaminated sites. – (1) In all cases, funds for conducting preliminary assessment and detailed assessment for suspected contaminated site and probable contaminated site, respectively, may, to the extent feasible, be initially met in whole or part by the Central Government from the Environmental Relief Fund under sub-section (9) of section 7 of the Public Liability Insurance Act, 1991 and also by the State Government.

(2) The funds shall be shared between Central Government and State Government in the following ratio. –

a. in case of an area in the North Eastern and Himalayan States, ninety percent funds from the Central Government and ten percent funds from the State Government;

b. in case of an area in the other States, sixty percent funds from the Central Government and forty percent funds from the State Government;

c. in case of an area in the Union territories, hundred percent funds from the Central Government.

(3) The State Government may utilise the funds allocated to it from Environmental Protection Fund under Sections 16 (1) and 16 (5) of the Environment (Protection) Act, 1986 and/or funds from Environmental Compensation collected by State Board, for its share.

(4) The State Government shall provide the concurrence for sharing of funds for preliminary and detailed site assessment within sixty days from the date of communication of the contaminated sites by the Central Board or the State Board, as the case may be:

Provided that where the Central Government considers it necessary and expedient to take up the remediation activities immediately, it may, pending the approval of the State Government, provide the funds equivalent to the share of the State Government for undertaking such remediation activities and may recover the amount from the State Government subsequently.

(5) In case the responsible person is identified, the expenditure made by the Central Government and State Government for preliminary and detailed site assessment shall be recovered from the responsible person within three months.

(6) In case funds have been provided by the Central Government or the State Government or Central Board or State Board for carrying out preliminary assessment, detailed assessment, preparation of remediation plan and carrying out remediation activities, the responsible person shall be liable to pay such expenditure, along with interest, in such manner as may be directed by the State Board:

Provided that the responsible person is not liable for payment towards expenditure on preliminary assessment and detailed assessment in case the site is not confirmed as contaminated site.

(7) In cases of orphan sites, the expenditure for conducting preliminary assessment, detailed assessment and preparation of remediation plan for suspected contaminated sites, probable contaminated sites and contaminated sites, respectively, and for carrying out the remediation shall be met in the ratio as per the sub-rule (2).

(8) In all other cases such as sites under temporary possession of banks or judicial proceedings, based on the recommendations of Committee, the funds for conducting preliminary assessment, detailed assessment, preparation of remediation plan and carrying out the remediation activities shall be met in the ratio as given in sub-rule (2).

9. Centralised online portal. – (1) The Central Board shall develop the centralised online portal for the purpose of reporting of suspected contaminated sites, probable contaminated sites and contaminated sites, and monitoring of assessment of contamination and remediation of contaminated sites under these rules.

(2) The State Board shall update all its activities including listing of probable contaminated sites and contaminated sites and its geotagging or geo-fencing, remote sensing and satellite imagery; status of preparation of the remediation plan; remediation activities; the list of responsible persons; uploading Remediation Completion Order and post-remediation monitoring activities; on the centralised online portal.

(3) The Central Board shall upload the list of all contaminated sites along with their status and the recommendations of the Committee in this regard.

10. Remediation Committee. - (1) The Central Government shall constitute Central Remediation Committee to review the remediation activities under these rules and to oversee the implementation of these rules.

(2) The Central Remediation Committee shall consist of the following members, namely:–

(a) Chairman, Central Board – Chairperson;

(b) a representative from each of the following Ministries or Departments as a member, –

(i) the Ministry of Housing and Urban Affairs;

(ii) the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry;

(iii) the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers;

(iv) the Ministry of Science and Technology;

(v) the Ministry of Health and Family Welfare;

(c) two representatives of State Boards having experience in dealing with contaminated sites to be nominated by the Central Government on rotation basis - Member;

(d) a representative from the concerned State Government - Member;

(e) two technical experts from the field of environment, geotechnical and industrial waste management to be nominated by the Central Government- Member;

(f) Member Secretary, Central Board or his/her nominee – Member Convener.

(3) The Committee shall review and monitor the implementation of provisions of these rules and may make recommendations in relation to any matter referred to it by the Central Government or the Central Board.

(4) The Committee shall meet at least once in six months and furnish its report to the Central Government on a yearly basis.

(5) The Committee shall annually review the list of suspected contaminated sites, probable contaminated sites and contaminated sites and the details of activities under these rules.

(6) The State Government or Union territory Administration shall constitute a State Level Committee within three months from the date of publication of these rules under the chairmanship of Additional Chief Secretary or Principal Secretary in-charge of the Environment Department, and Secretaries of the Municipal Administration and Urban Development Department, Department of Panchayati Raj, Industrial Department and representative of the State Board as its members to oversee the implementation of these rules and activities thereunder in a timely manner.

11. Functions of Central Board. – (1) The Central Board shall develop centralised online portal for monitoring and reporting of the provisions under the rules.

(2) The Central Board shall prepare a consolidated review report on management of contaminated sites in Form 5 and forward it to the Central Government, along with its recommendations, before the 30th day of September once in every year and publish it on the centralised online portal.

(3) The Central Board shall publish all relevant information on the centralised online portal.

IndiaCode

(4) The Central Board may submit the request to the Central Government for utilisation of funds and sharing of expenditure under these rules.

(5) The Central Board may issue guidelines for the purpose of implementation of these rules:

Provided that the guidelines in regard to environmental compensation may be issued with the prior approval of the Central Government.

12. Voluntary remediation. - (1) A voluntary remediation may be suitable for any site.-

a. that is not identified as probable contaminated sites or contaminated sites; or

b. that is not under investigation under these rules for identification as contaminated site; and

c. where the person proposing voluntary remediation is competent to manage or procure management of remediation and related environment and social aspects and local community requirements.

(2) A person may submit an application for voluntary remediation for review by the Committee accompanied with preliminary assessment report, voluntary agreement between all owners and occupiers, evidence of sufficient capacity to pay for remediation and an undertaking to comply with directions of the Committee during remediation.

(3) The Committee may recommend to the Central Government to approve the voluntary remediation proposal if it is satisfied that –

a. it meets the criteria set out in sub-rule (1);

b. the voluntary proposal has been agreed and accepted by all site owners and occupiers;

c. all persons together have demonstrated that they have sufficient capacity to pay the remediation cost and there is no requirement of public funding to pay for remediation;

d. all persons agree to abide by the orders, directions and notices issued by the Committee;

e. it is in compliance of the provisions of these rules.

(4) If at any stage, the person undertaking voluntary remediation does not follow any order or directive or notice of the Central Board or State Board or the Central Government or State Government or contravenes the provisions of these rules, there shall be no refund of any costs already incurred by the person and the Committee may recommend to the Central Board or Central Government to take steps to enforce the orders as if there was no voluntary remediation proposal.

(5) Approval of voluntary remediation shall not preclude the imposition or otherwise of damages or loss to environment and liability for failure to comply with or contravention of any other rules, provisions of these rules or orders or directions issued thereunder.

13. Environmental Compensation.- (1) The State Board may impose environmental compensation on any responsible person who does not comply to the provisions of these rules in undertaking the remediation or does not undertake the remediation under these rules in respect of a contaminated site and poses risks to human life and the environment contributing thereby to loss, damage or injury to environment or human health.

(2) In case, the State Board does not take action regarding imposition of environmental compensation in sixty days under sub-rule (1), the Central Board may impose environmental compensation on any person who does not comply to the provisions of these rules in undertaking the remediation or does not undertake the remediation under these rules in respect of a contaminated site and poses risks to human life and the environment contributing thereby to loss, damage or injury to environment or human health.

(3) Notwithstanding above, Central Board or State Board may take appropriate action under the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as the case may be.

(4) The payment of environmental compensation shall not absolve the responsible persons from payment of remediation cost that has been levied.

(5) The amount of environmental compensation under these rules, shall be credited to the Environmental Relief Fund established under section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991) and shall be kept in a separate account.

(6) The environmental compensation collected under these rules shall be utilised for restoration of loss, damage or injury to environment or public health through assessment of contamination and remediation of contaminated sites, and for the purpose of implementation of the provisions of these rules.

IndiaCode

(7) The Central Board shall submit a plan, with the estimation of the cost, for utilisation of funds collected under environmental compensation for the purposes specified under sub-rule (6), to the Central Government.

(8) The Central Government on being satisfied with the plan and the estimation submitted under sub-rule (7), may issue an order for disbursement of amount to the Central Board.

(9) The State Board shall submit a plan for purposes specified under sub-rule (6), to the Central Government through Central Board for seeking funds.

(10) The Central Board, on receipt of the plan from the State Board under sub-rule (9), shall forward its recommendation on the plan to the Central Government within 30 days from the date of receipt of the plan from State Board.

(11) The Central Government on being satisfied with the plan submitted under sub-rule (9), may issue an order for disbursement of amount to the Central Board which in turn will disburse the fund to the concerned State Board.

[F. No. 12/4/2024 -HSM]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Schedule I
[see rules 3 (e) (o) and (q)]

Response and Screening Levels of Hazardous Substances

S. No.	Chemical Name	Chemical Groups	Soil/Sediment					Ground water quality (Screening levels) (in mg/L)	Surface water quality (Screening levels) (in µg/L)
			Response levels (RL) (in mg/kg)	Screening Levels (SL) (in mg/kg)					
				Agricultural	Residential	Commercial	Industrial		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	1,1,1-Trichloroethane (TCA)	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	-	-
2.	1,1,2,2- Tetrachloroethene (PCE)	Halogenated aliphatic compounds	8.8	0.1	0.2	0.5	0.6	0.03	110
3.	1,1,2,2-Tetrachlorethane	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	-	-
4.	1,1,2-Trichloroethane	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	-	-
5.	1,1,2-Trichloroethene (TCE)	Halogenated aliphatic compounds	2.5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	21
6.	1,1-Dichloroethane	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	-	-
7.	1,1-Dichloroethene	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	0.014	-
8.	1,2,3,4-Tetrachlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	10	0.05	2	10	10	-	1.8
9.	1,2,3,5-Tetrachlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	10	0.05	2	10	10	-	-
10.	1,2,3-Trichlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	11	0.05	2	10	10	-	8
11.	1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	10	0.05	2	10	10	-	-
12.	1,2,4-Trichlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	11	0.05	2	10	10	-	24
13.	1,2-Dichlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	19	0.1	1	10	10	0.005	0.7
14.	1,2-Dichloroethane	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	0.005	100
15.	1,2-Dichloroethene	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	0.05	-
16.	1,2-Dichloropropane	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	-	-
17.	1,2-Dichloropropene (cis a	Halogenated aliphatic	50	0.1	5	50	50	-	-

	nd trans)	compounds							
18.	1,3,5-Trichlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	11	0.05	2	10	10	-	-
19.	1,3-Dichlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	19	0.1	1	10	10	-	150
20.	1,4-Dichlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	19	0.1	1	10	10	0.005	26
21.	1,4-Dioxane	Heterocyclic organic compound	-	-	-	-	-	0.05	-
22.	2,3,4,6-Tetrachlorophenol	Halogenated aromatic compounds	21	0.05	0.5	5	5	0.1	-
23.	2,4,6-Trichlorophenol	Halogenated aromatic compounds	22	0.05	0.5	5	5	0.005	-
24.	2,4-Dichlorophenol	Halogenated aromatic compounds	5	0.05	0.5	5	5	0.9	-
25.	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)	Pesticides (Phenoxy herbicide)	-	-	-	-	-	0.1	-
26.	3-Iodo-2-propynyl butyl ca rbamate	Pesticides, Carbamate	-	-	-	-	-	-	1.9
27.	Acenaphthene	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	5.8
28.	Acenaphthylene	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	-
29.	Acridine	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	4.4
30.	Aldicarb	Pesticides, Carbamate	-	-	-	-	-	0.009	1
31.	Aldrin	Pesticides, Organochlo rine	0.32	-	-	-	-	0.0007	0.004
32.	Aliphaticsnonchlorinated (each)	Non-halogenated aliph atic compounds	0.3	0.3	-	-	-	-	-
33.	Aluminium	Metal		-	-	-	-	2.9	-
34.	Ammonia (total)	Inorganic	-	-	-	-	-	0.5	-
35.	Ammonia (un-ionized)	Inorganic	-	-	-	-	-	-	19
36.	Aniline	Organic	-	-	-	-	-	-	2.2
37.	Anthracene	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	0.012
38.	Antimony (metallic)	Inorganic	40	20	20	40	40	0.006	-
39.	Arsenic	Metal	76	12	12	12	12	0.01	5
40.	Asbestos		100					-	-
41.	Atrazine	Pesticides, Triazine	0.71					0.005	1.8
42.	Barium	Inorganic	2000	750	500	2000	2000	2	-
43.	Benzene	Monocyclic aromatic c ompounds	5	0.05	0.5	5	5	0.005	370
44.	Benzo(a) anthracen	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	0.018
45.	Benzo(a) pyrene	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	0.00004	0.015
46.	Benzo(b) fluoranthene	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	-
47.	Benzo(k)fluoranthene	Polycyclic aromatic hy drocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	-
48.	Beryllium	Inorganic	8	4	4	8	8	-	-
49.	Boron	Inorganic	2	2	-	-	-	5	0.0015
50.	Bromacil	Pesticides	-	-	-	-	-	-	5
51.	Bromoxynil	Pesticides, Benzonitrile		-	-	-	-	0.03	5
52.	Cadmium	Metal	22	1.4	10	22	22	0.007	-
53.	Calcium	Inorganic	-	-	-	-	-	75	-
54.	Captan	Pesticides	-	-	-	-	-	-	1.3
55.	Carbaryl	Pesticides, Carbamate	0.45					-	0.2
56.	Carbofuran	Pesticides, Carbamate	0.017					0.09	1.8

IndiaCode

57.	Chlordane	Pesticides, Organochlorine	4					0.0002	0.006
58.	Chloride	Inorganic	-	-	-	-	-	250	120000
59.	Chlorothalonil	Pesticides	-	-	-	-	-	-	0.18
60.	Chlorpyrifos	Pesticides, Organophosphorus	-	-	-	-	-	0.09	0.002
61.	Chromium (total)	Metal	87	64	64	87	87	0.05	-
62.	Chromium, hexavalent (Cr(VI))	Metal	78	0.4	0.4	1.4	1.4	-	1
63.	Chromium, trivalent (Cr(III))	Metal	180					-	8.9
64.	Chrysene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	-
65.	Cobalt	Inorganic	300	40	50	300	300	-	-
66.	Coliforms, fecal (Escherichia coli)	Biological	-	-	-	-	-	Shall not be detectable in any 100 ml sample	-
67.	Coliforms, total	Biological	-	-	-	-	-	-	-
68.	Colour	Physical	-	-	-	-	-	5 Hazen Units (IS)	-
69.	Conductivity	Physical	4 dS/m	2 dS/m	2 dS/m	4 dS/m	4 dS/m	-	-
70.	Copper	Metal	190	63	63	91	91	2	
71.	Cyanazine	Pesticides, Triazine	-	-	-	-	-	0.01	2
72.	Cyanide	Inorganic	50	0.9	0.9	8	8	0.2	5
73.	Cyanobacterial Toxins	Biological	-	-	-	-	-	0.0015	-
74.	DDD (Dichlorodiphenyldichloroethane,2,2-Bis (p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane)	Pesticides, Organochlorine	34					-	-
75.	DDE (Dichlorodiphenyl ethylene,1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) -ethene)	Pesticides, Organochlorine	2.3					-	-
76.	DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane;2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane)	Pesticides, Organochlorine	1.7					1	-
77.	DDT Total (Dichloro diphenyl trichloroethane; 2,2-Bis(p- chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane)	Pesticides, Organochlorine	12	0.7	0.7	12	12	-	0.001
78.	Deltamethrin	Pesticides	-	-	-	-	-	-	0.0004
79.	Di(2-ethylhexyl) phthalate	Phthalate esters	-	-	-	-	-	-	16
80.	Dibenz(a,h)anthracene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	-
81.	Dibromochloromethane	Halogenated methanes	-	-	-	-	-	0.1	-
82.	Dicamba	Pesticides, Aromatic Carboxylic Acid	-	-	-	-	-	0.11	10
83.	Dichlorobromomethane	Halogenated methanes	-	-	-	-	-	-	-
84.	Dichloromethane (Methylene chloride)	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	0.05	98.1
85.	Dichlorophenols	Chlorinated phenols	22	0.05	0.5	5	5	0.9	0.2
86.	Diclofop-methyl	Pesticides	-	-	-	-	-	-	6.1
87.	Didecyldimethylammoniumchloride	Pesticides	-	-	-	-	-	-	1.5
88.	Diisopropanolamine	Organic	180	180	180	180	180	-	1600
89.	Dimethoate	Pesticides, Organophosphorus	-	-	-	-	-	0.02	6.2
90.	Di-n-butyl phthalate	Phthalate esters	-	-	-	-	-	-	19
91.	Dinoseb	Pesticides	-	-	-	-	-	0.01	0.05
92.	Endosulfan	Pesticides, Organochlo	4					0.4	0.003

IndiaCode

		rine							
93.	Endrin	Pesticides, Organochlorine	-	-	-	-	-	0.0006	0.0023
94.	Ethylbenzene	Monocyclic aromatic compounds	110	0.1	5	50	50	0.14	90
95.	Ethylene glycol	Glycols	960	960	960	960	960	-	192000
96.	Exchangeable Sodium Percentage (ESP)		15	10				-	
97.	Fluoranthene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	0.04
98.	Fluorene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	3
99.	Fluoride	Inorganic	2000	200	400	2000	2000	1.5	120
100.	Glyphosate	Pesticides, Organophosphorus	-	-	-	-	-	0.28	800
101.	Heptachlor	Pesticides, Organochlorine	4					-	0.01
102.	Hexachlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	10	0.05	2	10	10	-	-
103.	Hexachlorobutadiene	Halogenated aliphatic compounds	-	-	-	-	-	0.0006	1.3
104.	Hexachlorocyclohexane (alfa HCH)	Pesticides, Organochlorine	17	17	17	17	17	0.01	-
105.	Hexachlorocyclohexane (delta HCH)	Pesticides, Organochlorine	-	-	-	-	-	0.04	-
106.	Hexachlorocyclohexane (HCH)	Pesticides, Organochlorine	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
107.	Hexachlorocyclohexane (beta HCH)	Pesticides, Organochlorine	1.6					0.04	-
108.	Imidacloprid		-	-	-	-	-	0.23	-
109.	Indeno(1,2,3-c,d)pyrene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	-
110.	Iron	Inorganic	-	-	-	-	-	0.3	300
111.	Lead	Metal	600	70	140	260	600	0.005	-
112.	Lindane (gamma HCH)	Pesticides, Organochlorine	1.2					0.002	-
113.	Linuron	Pesticides	-	-	-	-	-	-	7
114.	Lithium	Inorganic	-	-	-	-	-	-	-
115.	Magnesium	Inorganic	-	-	-		-	30	-
116.	Malathione	Pesticide, Organophosphorus	-	-	-	-	-	0.29	-
117.	Manganese	Inorganic		-	-	-	-	0.12	-
118.	MCPA (Methylchlorophenoxyaceticacid(4-Chloro-2-methylphenoxyaceticacid;2-Methyl-4-chlorophenoxyaceticacid)	Pesticides	4					0.1	2.6
119.	Mercury (inorganic)	Metal	50	6.6	6.6	24	50	0.001	0.026
120.	Methoprene		-	-	-	-	-	1	-
121.	Methylmercury	Organic	4	-	-	-	-	-	0.004
122.	Methyltertiary-butyl ether (MTBE)	Aliphaticether	-	-	-	-	-	-	10000
123.	Metolachlor	Pesticide, Organophosphorus	-	-	-	-	-	0.05	7.8
124.	Metribuzin	Pesticides, Triazine	-	-	-	-	-	0.08	1
125.	Molybdenum	Inorganic	190	5	10	40	40	0.07	73
126.	Monochlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	15	0.1	1	10	10	0.08	1.3
127.	Monochlorophenols	Chlorinatedphenols	5.4	0.05	0.5	5	5	-	7
128.	Naphthalene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	1.1
129.	n-hexane	Aliphatichydrocarbon	21	6.5	6.5	21	21	-	-

IndiaCode

130.	Nickel	Metal	100	45	45	50	89	0.02	-
131.	Nitrate	Inorganic nitrogen compounds	-	-	-	-	-	45	13mg/L
132.	Nitrite	Inorganic nitrogen compounds	-	-	-	-	-	-	60
133.	Nonylphenolandits ethoxylates	Nonylphenol and its ethoxylates	14	5.7	5.7	14	14	-	1
134.	PCBs (Polychlorinatedbiphenyls)	Polychlorinated biphenyls	33	0.5	1.3	33	33	-	0.001
135.	Pentachlorobenzene	Halogenated aromatic compounds	10	0.05	2	10	10	-	6
136.	Pentachlorophenol	Halogenated aromatic compounds	12	7.6	7.6	7.6	7.6	0.06	0.5
137.	Permethrin	Pesticides, Organochlorine compounds	-	-	-	-	-	-	0.004
138.	pH	Inorganic Acidity, alkalinity and pH	6 to 8	6 to 8	6 to 8	6 to 8	6 to 8	6.5-8.5	6.5to 9.0
139.	Phenanthrene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	0.4
140.	Phenolic compounds (as C6H5OH)	compounds	14	0.1	1	10	10	0.001	-
141.	Phenols (mono-& dihydric)	Aromatic hydroxyl compounds	3.8	3.6	3.8	3.8	3.8	-	4
142.	Phenoxy herbicides	Pesticides	-	-	-	-	-	-	4
143.	Phthalicacid esters (each)	Phthalateesters	30	30	-	-	-	-	-
144.	Picloram	Pesticides	-	-	-	-	-	-	29
145.	Poly chlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans	Polychlorinated dioxins and furans	4 ngTEQ.kg^{-1}	4 ngTEQ.kg^{-1}	4 ngTEQ.kg^{-1}	4 ngTEQ.kg^{-1}	4 ngTEQ.kg^{-1}	-	-
146.	Polycyclic Hydrocarbon (PAH)	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	40					0.0001	-
147.	Propylene glycol	Glycols	-	-	-	-	-	-	500000
148.	Pyrene	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	0.025
149.	Quinoline	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	10	0.1	1	10	10	-	3.4
150.	Reactive Chlorine Species	Inorganic Reactive chlorine compounds	-	-	-	-	-	-	0.5
151.	Selenium	Inorganic	2.9	1	1	2.9	2.9	0.05	1
152.	Silver	Inorganic	40	20	20	40	40	0.1	0,1
153.	Simazine	Pesticides, Triazine	-	-	-	-	-	0.01	10
154.	Sodium	Inorganic	-	-	-		-	50	-
155.	Sodium adsorption ratio (SAR)		12	5	5	12	12	-	-
156.	Styrene	Monocyclic aromatic compounds	86	0.1	5	50	50	0.02 (C)	72
157.	Sulfolane	Organic sulphur compound	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-	50000
158.	Sulphate	Inorganic sulphur compounds	-	-	-	-	-	200	-
159.	Sulphur(elemental)	Inorganic sulphur compounds	500	500	-	-	-	-	-
160.	Tebuthiuron	Pesticides	-	-	-	-	-	-	1.6
161.	Tetrachloromethane	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	-	13.3
162.	Tetrachlorophenols	Halogenated aromatic compounds	21	0.05	0.5	5	5	0.1	1
163.	Thallium	Inorganic	1	1	1	1	1	-	0.8
164.	Thiophene	Miscellaneous organic compound	0.1	0.1	-	-	-	-	-
165.	Tin (inorganic)	Inorganic	300	5	50	300	300	-	-
166.	Toluene	Monocyclic aromatic compounds	32	0.1	3	30	30	0.06	2
167.	Total dissolved solids (TD	solids	-	-	-	-	-	500	-

IndiaCode

	S)								
168.	Total hydrocarbons (TPH) (mineral oil)	Aromatic Hydrocarbons	5000					0.01	-
169.	Toxaphene	Pesticides, Organochlorine	-	-	-	-	-	-	0.008
170.	Triallate	Pesticides, Carbamate	-	-	-	-	-	-	0.24
171.	Tribromomethane	Halogenated aliphatic compounds	75					-	-
172.	Tributyltin	Organotin compounds	-	-	-	-	-	-	0.008
173.	Trichlorfon		-	-	-	-	-	-	0.009
174.	Trichloromethane (chloroform)	Halogenated aliphatic compounds	50	0.1	5	50	50	0.3	1.8
175.	Trichlorophenols	Halogenated aromatic compounds	22	0.05	0.5	5	5	0.005	18
176.	Tricyclohexyltin	Organotin compounds	-	-	-	-	-	-	-
177.	Trifluralin	Pesticides, Dinitroaniline	-	-	-	-	-	0.02	0.2
178.	Triphenyltin	Organotin compounds	-	-	-	-	-	-	0.022
179.	Turbidity	solids total particulate matter	-	-	-	-	-	0.1-1.0NTU	-
180.	Uranium	Inorganic	300	23	23	33	300	0.02	15
181.	Vanadium	Inorganic	130	130	130	130	130	-	-
182.	Vinylchloride	Halogenated aliphatic compounds	0.1					0.002	-
183.	Xylene	Monocyclic aromatic compounds	17	2.4	2.4	2.4	2.4	0.09	-
184.	Zinc	Metal	720	250	250	360	410	5	30
185.	HFPO-DA (commonly known as Gen X Chemicals)	Organofluorine compounds						0.000004	
186.	PFHxS	Organofluorine compounds						0.000001	
187.	PFNA	Organofluorine compounds						0.000001	
188.	PFOA	Organofluorine compounds						0.000001	
189.	PFOS	Organofluorine compounds						1	

IndiaCode

Schedule II
[see rule 7(1)]
Criteria for Selection of Reference Organisations

For carrying out preliminary assessment detailed assessment and preparation of remediation plan of contaminated sites:

a. The Reference Organisation should have minimum of 5 years of experience in assessment of contamination of hazardous substances and chemicals and preparation of remediation plan.

b. The Reference Organisation must have undertaken at least 3 projects in regard to assessment of contamination of hazardous substances or chemicals and preparation of remediation plan, out of which 1 project in preparation of remediation plan.

c. The Reference Organisation shall have employed at least 10 personnel having the following qualifications and experience:

- At least 5 persons having M.Tech in Environmental Engineering /Civil Engineering /Chemical Engineering/ Geotechnical Engineering or M.Sc. in Environmental Science/ Chemistry / Hydrogeology/ Geology/ Geophysics, with at least 5 years of relevant work experience, of which the project manager shall have at least 10 years of relevant work experience

- At least 4 persons having B.Tech in Environmental Engineering /Civil Engineering /Chemical Engineering/ Geotechnical Engineering or B.Sc. in Environmental Science/ Chemistry / Hydrogeology/ Geology/ Geophysics, with at least 3 years of relevant work experience
- At least one expert in social sciences having post-graduate degree in Social Sciences with at least 3 years of relevant work experience may be engaged, in case of preparation of remediation plan.

d. The Reference Organisation shall have capabilities and experience in assessment and ascertaining the extent of contamination and shall demonstrate the possession of modelling softwares in this regard.

e. The Reference Organisation should have a tie-up with a laboratory recognized under section 12 of the Environment Protection Act, 1986.

For implementation of remediation activities as per the remediation plan:

a. The Reference Organisation should have minimum of 5 years of experience in preparing remediation plan, designing and implementation of waste processing, treatment and disposal facilities, and carrying out the remediation activities.

b. The Reference Organisation must have undertaken at least 3 projects in regard to preparation of remediation plan or designing and implementation of waste processing, treatment and disposal facilities and carrying out remediation activities, out of which 1 project in carrying out remediation activities.

c. The Reference Organisation shall have employed at least 15 personnel having the following qualifications and experience:

- At least 5 persons having M.Tech in Environmental Engineering /Civil Engineering /Chemical Engineering/ Geotechnical Engineering or M.Sc. in Environmental Science/ Chemistry / Hydrogeology/ Geology/ Geophysics, with at least 5 years of relevant work experience, of which the project manager shall have at least 10 years of relevant work experience
- At least 4 persons having B.Tech in Environmental Engineering /Civil Engineering /Chemical Engineering/ Geotechnical Engineering or B.Sc. in Environmental Science/ Chemistry / Hydrogeology/ Geology/ Geophysics, with at least 3 years of relevant work experience
- At least 5 technicians having relevant trade qualifications in Mechanical, Electrical, Surveyor, Instrumentation, Fitter and Welder
- At least one person having post-graduate degree on Occupational Health & Safety with at least 3 years of relevant work experience

d. The Reference Organisation shall have capabilities and experience in assessment and ascertaining the extent of contamination and shall demonstrate the possession of modeling softwares in this regard.

e. The Reference Organisation should have a tie-up with a laboratory recognized under section 12 of the Environment Protection Act, 1986.

Form 1

[see rule 4(3)]

FORMAT FOR SUBMISSION OF HALF-YEARLY INVENTORY OF SUSPECTED CONTAMINATED SITES TO STATE BOARD

To,

Chairman,
State Pollution Control Board,
……

Name of District:
No. of Suspected Contaminated Sites:

List of District Wise Suspected Contaminated Sites

S. No.	Name of suspected contaminated site	Geo-coordinates and Location
1.		
2.		

Attach separate sheet for each of suspected contaminated site as per the format below:

SI No.	**Particulars**	**Details**
1.	State & District	
2.	Serial number	
3.	Site ID	(State-district-xx) Example: Uttar Pradesh (UP), Ghaziabad (GZ) UP-GZ-01- 1st Site UP-GZ-02 – 2nd Site
4.	Site Name	
5.	Name of the site owner	
6.	Approximate area	
7.	Address (Street, Street number, postal code)	
8.	GPS coordinates /and elevation (latitude and longitude)	
9.	Land use (current)	
10.	Details of nearest industry to the suspected contaminated site	
11.	Type of contamination (if known)	
12.	Suspected cause of contamination (any industrial processes or any other activity which caused the contamination)	
13.	Contaminants of concern (if known)	
14.	Any study done on the site	If yes, a copy of the report to be attached
15.	Any Environmental Compensation imposed earlier, if yes, details to be provided	
16.	Any Court/ Tribunal case, if yes, details to be provided	

Place:
Date:

(Name of the local body or District Administration)

Form 2

[see rule 5(10)]

FORM FOR HALF-YEARLY PROGRESS REPORT OF CONTAMINATED SITES REMEDIATION TO BE SUBMITTED BY RESPONSIBLE PERSON TO THE STATE BOARD WITH INTIMATION TO CENTRAL BOARD

To,

Chairman,
State Pollution Control Board,
……
……
……

1	Name of contaminated site	:	
2	Name and address of occupier Telephone number Fax number	:	

IndiaCode

	E-mail		
3	Name and contact details of person in-charge dealing with the remediation of the contaminated site along with details of Remediation agency/contractor	:	
4	Physical progress of the remediation of contaminated site with regard to action plan	:	
5	Financial progress of the remediation of contaminated site with regard to action plan	:	

Place: _____
Date: _____

(Authorised Signatory)
Name:
Designation:

Copy to :-

Member Secretary,
Central Pollution Control Board,
……

FORM 3

[see rule 6(9)]

FORMAT FOR REPORTING ACCIDENT

[To be submitted by the responsible person or transporter to the State Board]

To,

Chairman,
State Pollution Control Board,
……
……
……

1. The date and time of the accident :
2. Sequence of events leading to accident :
3. Details of hazardous substances involved in accident :
4. The date for assessing the effects of the accident on health or the environment :
5. The emergency measures taken :
6. The steps taken to alleviate the effects of accidents :
7. The steps taken to prevent the recurrence of such an accident :

Date:
Place: Signature:

Signature of the authorised person

Copy to:
Concerned District Magistrate

IndiaCode

Form 4

[see rule 7(1)]

APPLICATION FOR EMPANELMENT OF REFERENCE ORGANISATION

To,

Member Secretary
Central Pollution Control Board
Government of India, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar,
Delhi- 110 032

1.	Name of the Organisation	:	
2.	Certificate of Incorporation issued under the Companies Act, 2013 (a) Corporate Identity Number: (b) Validity: (c) Enclose a copy	:	
3.	Registered Address Telephone number E-mail	:	
4.	Name and contact details of person in-charge	:	
5.	GST number	:	
6.	Organisational experience; i. No. of projects undertaken for assessment of contamination ii. No. of projects undertaken for designing waste processing, treatment and disposal facilities iii. No of projects undertaken for preparation of remediation plan iv. No. of projects undertaken for carrying out remediation activities Only completed projects shall be considered for evaluation Please enclose the details of each project along with the value of the project , duration of the project and completion certificate issued by the company which has awarded work		
7.	i. Total number of experts: ii. No. of experts having M.Tech in: a. Environmental Engineering b. Civil Engineering: c. Chemical Engineering: d. Geotechnical Engineering iii. No. of experts having M.Sc. in: a. Environmental Science: b. Chemistry: c. Hydrogeology: d. Geology: e. Geophysics: iv. No. of experts having B.Tech in: a. Environmental Engineering: b. Civil Engineering: c. Chemical Engineering: d. Geotechnical Engineering: v. No. of experts having B.Sc. in: a. Environmental Science: b. Chemistry : c. Hydrogeology:		

IndiaCode

	d. Geology: e. Geophysics: vi. No. of technicians: a. Mechanical: b. Electrical: c. Surveyor: d. Instrumentation: e. Fitter and Welder: vii. No. of Occupational Health & Safety expert: (Enclose the bio-data with details of experience in chronological order)		
8.	Details of the laboratory through which tie-up has been made: i. Name of the laboratory: ii. Valid registration certificate number and validity issued under the Environmental Protection Act, 1986 (Enclose the copy): iii. Please enclose a documentary proof regarding tie-up with the laboratory	:	
9.	Details of modelling software for assessment and remediation of contamination	:	

Place: _____
Date: _____

Authorized Signatory
Name:
Designation:

IndiaCode

Form 5
[see rule 11(2)]

FORM FOR ANNUAL CONSOLIDATED REVIEW REPORT ON MANAGEMENT OF CONTAMINATED SITES TO BE SUBMITTED BY THE CENTRAL BOARD TO THE CENTRAL GOVERNMENT

To,

Secretary
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi -110003

1.	State-wise annual inventory of suspected contaminated sites	:	Attach details
2.	State-wise annual inventory of probable contaminated sites	:	Attach details
3.	State-wise annual inventory of contaminated sites	:	Attach details
4.	State-wise annual inventory of contaminated sites remediated	:	Attach details
5.	Status of preparation of site assessment report and remediation plan	:	Attach details
6.	Physical and financial progress of the remediation of contaminated sites with regard to action plan	:	Attach details
7.	State-wise inventory of contaminated site owner and responsible person	:	Attach details

Place: _____
Date: _____

Member Secretary
Central Pollution Control Board

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.25 15:24:36 +05'30'